इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल 2026–चैत्र 20, शक 1948

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, लखन लाल, निवासी– म. नं.–22, रिमझा, कठोंदा, सुरतलाई, जबलपुर (म.प्र.). मेरे सेवा अभिलेख में मेरा नाम लखन लाल दाहिया आत्मज स्व. नोखे लाल (Lakhan Lal) लिखा है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम लखन लाल आत्मज स्व. श्री नोखे लाल है, जो कि मेरे अन्य शासकीय अभिलेखों तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, समग्र आई.डी. में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम लखन लाल आत्मज स्व. श्री नोखे लाल के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(लखन लाल दाहिया)

नया नाम

(लखन लाल).

(G-2658)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम किशोर सिंह कुशवाहा पिता तुलाराम कुशवाह, निवासी– ग्राम मानपुरा, पोस्ट जानपुर बावड़िया, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री पूनम के आधार कार्ड में उपनाम अंकित नहीं है. मैं, अपनी पुत्री के आधार कार्ड में पूनम कुशवाहा लिखवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को पूनम कुशवाहा के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(किशोर सिंह कुशवाहा).
पिता– तुलाराम कुशवाह

(G-2659)

नाम परिवर्तन

मैं, पर्वत सिंह पिता प्रभुलाल जी कुशवाह, निवासी– मानपुरा, पोस्ट जानपुर बावड़िया, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में कल्पना कुशवाह लिखा है. मैं, उसके आधार कार्ड में कोमल कुशवाह करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को कोमल कुशवाह के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(पर्वत सिंह कुशवाह)

पिता– प्रभुलाल जी कुशवाह.

(G-2660)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अंकित अहिरवार आत्मज भगवान दास (ANKIT AHIRWAR S/o. BHAGWAN DAS). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अनिकेत अहिरवार (ANIKET AHIRVAR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम अंकित अहिरवार आत्मज भगवान दास (ANKIT AHIRWAR S/o. BHAGWAN DAS) है. जो मेरे जन्म प्रमाण– पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अंकित अहिरवार आत्मज भगवान दास (ANKIT AHIRWAR S/o. BHAGWAN DAS) के नाम से जाना–पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अनिकेत अहिरवार)
(ANIKET AHIRVAR)

नया नाम

(अंकित अहिरवार)
(ANKIT AHIRWAR)
आत्मज– भगवान दास
S/o. BHAGWAN DAS
निवासी– 14. क्रिक्केट मुहल्ला, बम्होरी खास,
लीधोरा, टीकमगढ़ (म.प्र.).

(G-2661)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम देव सिंगारे (DEV SINGARE) पिता धर्मेन्द्र सिंगारे, निवासी– ग्राम उटावदा, तिरला, तहसील धार, जिला धार (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में सही नाम देव सिंगारे दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश देवेन्द्र सिंगारे अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम देव सिंगारे के नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(धर्मेन्द्र सिंगारे).

(G-2662)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती बी. नलिनीअम्मा पत्नी श्री के. यशोधरन, निवासी-- सांई आर्यन रेस्टोरेंट के ऊपर, जिला न्यायालय के सामने, कोठी बाजार, नर्मदापुरम, तहसील व जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरा नाम श्रीमती बी नलिनीअम्मा है, जो मेरे विभाग के सर्विस रिकार्ड में दर्ज है तथा मेरे भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता परिचय–पत्र में भी दर्ज है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम भवानी नलिनी अंकित है, जबकि मेरा पूरा नाम बी. नलिनीअम्मा है इस प्रकार मेरे आधार कार्ड में भवानी हटाकर बी. नलिनीअम्मा शब्द जोडना है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे नाम बी. नलिनी के बाद ''अम्मा'' शब्द जुड़वाना चाहती हूँ. इस प्रकार मेरा सही नाम बी. नलिनीअम्मा है.

पुराना नाम

(भवानी नलिनी)

नया नाम

(बी. नलिनीअम्मा).

(G-2663)

नाम परिवर्तन

मैं, किशोर माली पिता नंदलाल माली, निवासी– म.नं. 08, वॉर्ड नं. 01, घाटी के पास, ग्राम अरन्यामाली, तहसील मनासा, जिला नीमच (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम अर्पिता माली अंकित है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में उसका नाम निर्जला माली (NIRJALA MALI) दर्ज है, जो कि सही है. अर्पिता माली एवं निर्जला माली दोनों नाम मेरी पुत्री के ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री को अर्पिता माली के स्थान पर निर्जला माली (NIRJALA MALI) के नाम से ही जाना– पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(किशोर माली).

(G-2664)

नाम परिवर्तन

मैं, निम्मी बाई चौधरी पति श्री नोनेलाल चौधरी, निवासी– म.नं. 653, बेलबाग, भानतैलया चौधरी मोहल्ला, जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों आदि में मेरा नाम गलती से नीमा व निमि बाई चौधरी लिखा है, जबकि मेरा सही नाम निम्मी बाई चौधरी है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे निम्मी बाई चौधरी पति श्री नोनेलाल चौधरी के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिक

(निम्मी बाई चौधरी).

(G-2665)

नाम परिवर्तन

मैं उत्तमलाल झारिया (UTTAMLAL JHARIYA) पिता रामविशाल झारिया, निवासी– ग्राम रयपुरा, थाना व तहसील शहपुरा, जिला डिंडोरी (म.प्र.). मेरा नाम उत्तमलाल झारिया (UTTAMLAL JHARIYA) है, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में अंकित है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम उतम (UTAM) त्रुटिवश लिख दिया गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम उतम (UTAM) को परिवर्तित कर झारिया (UTTAMLAL JHARIYA) दर्ज किया जावे तथा इसी नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(उत्तम लाल झारिया)
पिता– रामविशाल झारिया.

(G-2666)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती संतोषी पत्नी स्व. श्री करण सिंह, मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश तारावती (TARAVATI) गलत नाम अंकित हो गया है, जबकि मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय/ दस्तावेजों में उसका सही नाम आर्वी ठाकुर (ARVI THAKUR) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम आर्वी ठाकुर के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(संतोषी)
पत्नी– स्व. श्री करण सिंह.
निवासी– 212, अम्बेडकर नगर, काली मंदिर के पास,
उत्तर टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.).

(G-2667)

नाम परिवर्तन

मैं, मनोहर पिता राधेश्याम, निवासी– म. नं. 168, खाडेर, खादर, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम ''रिशव'' अंकित हो गया है, जबकि उसका सही नाम ''रिशभ जाटव'' है. ''रिशव'' तथा ''रिशभ जाटव'' दोनों नाम मेरे पुत्र के है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, शैक्षणिक, बैंकिंग एवं अन्य अभिलेखों में उसका सही नाम ''रिशभ जाटव'' के नाम से पढ़ा– लिखा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मनोहर)

पिता– राधेश्याम.

(G-2668)

नाम परिवर्तन

मैं, जयप्रकाश वर्मा पिता कमला पति वर्मा, निवासी– आर.बी. 4, सैनिक स्कूल कैम्पस, सिविल लाइन, रीवा, हुजूर रीवा (म.प्र.). मेरी पुत्री वरूशिका वर्मा का सुकन्या का खाता भारतीय डाकघर रीवा में संचालित है. मेरी पुत्री के उक्त खाते में मेरे द्वारा उसका घर का नाम अंशिका वर्मा (Anshika Verma) दर्ज करवा दिया गया था, जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र व अन्य सभी दस्तावेजों में उसका नाम वरूशिका वर्मा (Varushika Verma) दर्ज है. अंशिका वर्मा व वरूशिका वर्मा दोनों नाम मेरी पुत्री के ही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के उक्त सुकन्या खाते में उसका नाम अंशिका वर्मा (Anshika Verma) के स्थान पर वरूशिका वर्मा (Varushika Verma) दर्ज किया जावे एवं उसे इसी नाम से ही जाना–पहचाना, लिखा– पढ़ा जावे.

आवेदक

(जयप्रकाश वर्मा).

(G-2669)

नाम परिवर्तन

मैं, पुष्पेन्द्र किरार (PUSPENDRA KIRAR) आ. श्री लखन सिंह, निवासी– उरदमउ, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं मेरी अंकसूची में मेरा नाम पुष्पेन्द्र किरार (PUSPENDRA KIRAR) अंकित है, जबकि मेरे आधार कार्ड में पुपेन्द्र किरार (PUPENDRA KIRAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम पुपेन्द्र किरार (PUPENDRA KIRAR) के स्थान पर पुष्पेन्द्र किरार (PUSPENDRA KIRAR) अंकित किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में पुष्पेन्द्र किरार (PUSPENDRA KIRAR) के नाम से ही जाना– पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(पुपेन्द्र किरार)

(PUPENDRA KIRAR)

नया नाम

(पुष्पेन्द्र किरार)

(PUSPENDRA KIRAR).

(G-2670)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम रामबाबू (RAMBABU) है, यही नाम मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, मध्यप्रदेश भू–राजस्व अभिलेख आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रामू कुशवाह (RAMU KUSHWAH) दर्ज हो गया है. रामबाबू (RAMBABU) और रामू कुशवाह (RAMU KUSHWAH) दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम रामू कुशवाह (RAMU KUSHWAH) के स्थान पर रामबाबू (RAMBABU) लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रामू कुशवाह)

(RAMU KUSHWAH)

नया नाम

(रामबाबू)

(RAMBABU)

पुत्री– काशीराम कुशवाह

निवासी– शनि देव मंदिर के पास,

तारागंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2671)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम हरीशंकर (HARISHANKAR) है, यही नाम मेरे स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र, मध्यप्रदेश भू–राजस्व अभिलेख आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम हरी कुशवाह (HARI KUSHWAH) दर्ज हो गया है. हरीशंकर (HARISHANKAR) और हरी कुशवाह (HARI KUSHWAH) दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम हरी कुशवाह (HARI KUSHWAH) के स्थान पर हरीशंकर (HARISHANKAR) लिखा– पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(हरी कुशवाह) **(HARI KUSHWAH)**	**(हरीशंकर)** **(HARISHANKAR)** पुत्र– काशीराम कुशवाह निवासी– शनि देव मंदिर के पास, तारागंज, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-2672)

उपनाम परिवर्तन

मेरा सही नाम कल्याण सिंह राठौर (KALYAN SINGH RATHOR) है, जो कि मेरे वोटर कार्ड आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कल्लू राठौर (KALLU RATHORE) दर्ज हो गया है. कल्याण सिंह राठौर (KALYAN SINGH RATHOR) और कल्लू राठौर (KALLU RATHORE) दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम कल्लू राठौर (KALLU RATHORE) के स्थान पर कल्याण सिंह राठौर (KALYAN SINGH RATHOR) लिखा– पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कल्लू राठौर) **(KALLU RATHORE)**	**(कल्याण सिंह राठौर)** **(KALYAN SINGH RATHOR)** पुत्र– छोटेलाल राठौर निवासी– रायपुर खुर्द, नया गांव, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2673)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम इशान्त प्रजापति (ESHANT PRAJAPATI) है, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेज, जन्म प्रमाण–पत्र आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम इशान प्रजापति (ISHAN PRAJAPATI) दर्ज हो गया है. इशान्त प्रजापति (ESHANT PRAJAPATI) और इशान प्रजापति (ISHAN PRAJAPATI) दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम इशान प्रजापति (ISHAN PRAJAPATI) के स्थान पर इशान्त प्रजापति (ESHANT PRAJAPATI) लिखा– पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(इशान प्रजापति) **(ISHAN PRAJAPATI)**	**(इशान्त प्रजापति)** **(ESHANT PRAJAPATI)** पुत्र– कल्लू प्रजापति निवासी– जहांगीर कटरा, लधेड़ी, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2674)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम रविन्द्र (RAVINDRA) है, यही नाम मेरे स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र, शैक्षणिक दस्तावेज आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अरविन्द गहलोत (ARVIND GAHLOT) दर्ज हो गया है. रविन्द्र (RAVINDRA) और अरविन्द गहलोत (ARVIND GAHLOT) दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम अरविन्द गहलोत (ARVIND GAHLOT) के स्थान पर रविन्द्र (RAVINDRA) लिखा– पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अरविन्द गहलोत)
(ARVIND GAHLOT)

नया नाम

(रविन्द्र)
(RAVINDRA)
पुत्र– रामनरेश
निवासी– बड़ा पुरा, पोस्ट जोहा, अम्बाह,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-2675)

उपनाम परिवर्तन

मेरा सही नाम श्वेता राठौर (SWETA RATHORE) है, यही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेज आदि में दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सीता राठौर (SEETA RATHORE) दर्ज हो गया है. श्वेता राठौर (SWETA RATHORE) और सीता राठौर (SEETA RATHORE) दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम सीता राठौर (SEETA RATHORE) के स्थान पर श्वेता राठौर (SWETA RATHORE) लिखा– पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सीता राठौर)
(SEETA RATHORE)

नया नाम

(श्वेता राठौर)
(SWETA RATHORE)
पुत्री– गोपाल राठौर
निवासी--वार्ड न. 15, गणेश कॉलोनी, फतेहपुर,
शिवपुरी (म.प्र.).

(G-2676)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम ध्रुव श्रीवास (DHRUV SHRIVAS) है, यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों आदि में दर्ज है जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम धुरेव (DHUREB) दर्ज हो गया है. ध्रुव श्रीवास (DHRUV SHRIVAS) और धुरेव (DHUREB) दोनों नाम मेरे पुत्र के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में उसका नाम घुरेव (DHUREB) के स्थान पर ध्रुव श्रीवास (DHRUV SHRIVAS) पुत्र राजेश श्रीवास लिखा– पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजेश श्रीवास)
पुत्र– रघुवीर सिंह
निवासी– नई कांचमील रघुवीर बाड़ा,
बिरला नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2677)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम तनवीर सिंगारे (TANVEER SINGARE) पिता जितेन्द्र सिंगारे है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र पर अंकित है. किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम आशिक (ASHIK) पिता जितेन्द्र सिंगारे दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों पर उसका सही नाम तनवीर सिंगारे (TANVEER SINGARE) पिता जितेन्द्र सिंगारे लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जितेन्द्र सिंगारे)

पता– 8, रायकुंडा नाहरखोदरा, खुर्दी, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2678)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरे पुत्र का नाम एरोन एलेक्स (AARON ALEX) पिता जूड एलेक्स था, जो कि उसके आधार कार्ड पर अंकित है. किन्तु मैंने मेरे पुत्र का नाम परिवर्तित कर जय एलेक्स (JAY ALEX) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों पर उसका परिवर्तित नाम जय एलेक्स (JAY ALEX) लिखा– पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना– पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदिका

माता– (आन्या जय)

पता – 112, कासा विलास, तलावली चांदा

इन्दौर (म.प्र.).

(G-2679)

उपनाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम समक्ष सरोज (SAMAKSHA SAROJ) पिता जितेन्द्र सरोज है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र पर अंकित है. किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम समक्ष सरोज (SAMKASH SAROJ) पिता जितेन्द्र सरोज दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों पर उसका सही नाम समक्ष सरोज (SAMAKSHA SAROJ) पिता जितेन्द्र सरोज लिखा– पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना– पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जितेन्द्र सरोज)

पता– 324/7, शंकर बाग, नवलखा

इन्दौर (म.प्र.).

(G-2680)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम विष्णु वासुदेव बापट (VISHNU VASUDEO BAPAT) पिता वासुदेव बापट था, जो मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर अंकित है. किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर विष्णु बापट (VISHNU BAPAT) पिता वासुदेव बापट कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं वोटर कार्ड पर अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा परिवर्तित नाम विष्णु बापट (VISHNU BAPAT) पिता वासुदेव बापट लिखा– पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना– पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(विष्णु वासुदेव बापट)

(VISHNU VASUDEO BAPAT)

नया नाम

(विष्णु बापट)

(VISHNU BAPAT)

पिता– वासुदेव बापट

S/o. VASUDEO BAPAT

पता-- 25, लोकमान्य नगर, एक्सटेन्शन

केसर बाग रोड, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2681)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम कज़ेफा (KAJEFA) पति फेजन खान है, जो की मेरे वोटर कार्ड पर दर्ज है. किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम कज़ेरा (KAZERA) पति फेजन खान एवं कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर कजाफा (KAJAFA) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम कज़ेफा (KAJEFA) पति फेजन खान लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना– पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(कज़ेरा)
(KAZERA)

नया नाम
(कज़ेफा)
(KAJEFA)
पति– फेजन खान
पता– ग्राम अनारद, धार (म.प्र.).

(G-2682)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम परेश पाटिल (PARESH PATIL) पिता जंबूराव था, जो मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर अंकित है किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर परेश जैन (PARESH JAIN) पिता जंबूराव कर लिया है, जो मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण– पत्र पर पिता के स्थान पर अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरे सभी दस्तावेजों पर परेश पाटिल के स्थान पर मेरा परिवर्तित नाम परेश जैन (PARESH JAIN) पिता जबूराव लिखा– पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना– पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(परेश पाटिल)
(PARESH PATIL)

नया नाम
(परेश जैन)
(PARESH JAIN)
पिता – जंबूराव
पता– ई.501, सहज रेसिडेंसी, स्कीम नं. 103,
इन्दौर (म.प्र.).

(G-2683)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम रश्मि मण्डलोई (RASHMI MANDLOI) पिता रंजीत मण्डलोई है, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों पर दर्ज है. किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम लक्ष्मी मण्डली (LAKSHMI MANDLAI) पिता रंजीत दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपनान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम रश्मि मण्डलोई (RASHMI MANDLOI) पिता रंजीत मण्डलोई लिखा– पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना– पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(लक्ष्मी मण्डली)
(LAKSHMI MANDLAI)

नया नाम
(रश्मि मण्डलोई)
(RASHMI MANDLOI)
पिता– रंजीत मण्डलोई
पता– 632, देशगांव, पूर्व निमाड़ (म.प्र.).

(G-2684)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का सही नाम अर्शदीप ग्रोवर (Arshdeep Grover) है, किन्तु मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम आगाज ग्रोवर (Aagas Grover) लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के आधार कार्ड सहित अन्य सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका सही नाम अर्शदीप ग्रोवर (Arshdeep Grover) ही लिखा व पढ़ा जावे.

Applicant

(Tarun Kumar Grover) Father
Add:-A-504 Cosmos City, Near Noble Hospital,
Bicholi Mardana, Indore (M.P.).

(G-2685)

नाम परिवर्तन

मेरे नाम की सही स्पेलिंग माहिल चौहान (MAHIL CHOUHAN) है, किन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरे नाम की स्पेलिंग व मेरा नाम माईल चौहान (MAAIL CHOUHAN) लिखा गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड सहित अन्य सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नाम की सही स्पेलिंग व मेरा सही नाम माहिल चौहान (MAHIL CHOUHAN) ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(माईल चौहान)
(MAAIL CHOUHAN)

नया नाम

(माहिल चौहान)
(MAHIL CHOUHAN)
S/o. Jitendra Singh Chouhan
Add: 51/1 Krishnabag Colony, Aerodrum Road,
Indore (M.P.).

(G-2686)

CHANGE OF NAME

I, Hereby declare that my name's correct spelling is Parmeet kour Tuteja but in some of my documents and share certificates my name's spelling is written Parmeet kaur Tuteja. So I want to correct it everywhere as Parmeet kour Tuteja. Henceforth my name shall be read and written as Parmeet kour Tuteja for all purposes.

Old Name

(Parmeet kaur Tuteja)

New Name

(Parmeet kour Tuteja)
Add:- MIG 61, Indira Nagar opposite Garden,
Agar Road, Ujjain (M.P.).

(G-2687)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम मानसी जैन है, किन्तु उसके आधार कार्ड में उसका नाम मयांशी चत्तर लिखा हुआ है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड सहित समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसका सही नाम मानसी जैन ही लिखा व पढ़ा जावे.

आवेदिका

(आकांक्षा जैन)
पता– 53, भरावा की कुई, रतलाम (म.प्र.).

(G-2688)

उपनाम परिवर्तन

मेरा नाम सुभाष चंद्र है जो कि मेरे ज्यादातर दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स पर मेरा नाम उपनाम सहित सुभाष चंद्र रांका लिखा हुआ है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम उपनाम सहित सुभाष चंद्र ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(सुभाष चंद्र रांका)
(Subhash Chandra Ranka)

नया नाम

(सुभाष चंद्र)
(Subhash Chandra)
निवासी– म.नं. 0 वार्ड नं. 9, मुख्य रोड खिरकिया,
हरदा (म.प्र.).

(G-2689)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदार फर्म मेसर्स अनंत एग्रीटेक सोलूशन्स पंजीयन क्रमांक 03–27–01–0379–15 व पंजीयन दिनांक 24 फरवरी 2015 तथा पता–121, न्यू सब्जी मंडी, इन्दौर, जिला इन्दौर है जिसमें प्रथम विलेख दिनाक 17 अक्टूबर 2014 के अनुसार फर्म में भागीदार (1) श्री प्रवीण अग्रवाल पिता श्री कल्याणमल अग्रवाल, (2) श्री आंनद अग्रवाल पिता श्री कल्याणमल अग्रवाल, (3) श्री कमल राठौर पिता श्री जगदीश चंद्र राठौर थे. दिनांक 17 जनवरी 2026 को फर्म से 1 भागीदार (1) श्री कमल राठौर पिता श्री जगदीश चंद्र राठौर प्रथक् हो गए हैं अतः वर्तमान में फर्म में कुल 2 भागीदार शेष है जो इस प्रकार हैं:– (1) श्री प्रवीण अग्रवाल पिता श्री कल्याणमल अग्रवाल, (2) श्री आंनद अग्रवाल पिता श्री कल्याणमल अग्रवाल है.

फर्म मेसर्स अनंत एग्रीटेक सोलूशन्स

प्रवीण अग्रवाल
(भागीदार)
पता–121, न्यू सब्जी मंडी, जिला इंदौर (म.प्र.).

(G-2690)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम माधुरी देवी (MADHURI DEVI) पति राम चंद था, जो कि मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजो पर दर्ज है, जिसको मैंने परिवर्तित कर मेरा नाम पोपरी बाई (POPARI BAI) पति राम चंद कर लिया है, जो मेरे मुल निवासी प्रमाण– पत्र पर अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा परिवर्तित नाम पोपरी बाई (POPARI BAI) पति राम चंद लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना– पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(माधुरी देवी)	**(पोपरी बाई)**
(MADHURI DEVI)	**(POPARI BAI)**
	पति– राम चंद
	पता– 566, संजीवनी नगर, पुरवा
	जबलपुर (म.प्र.).

(G-2691)

उपनाम परिवर्तन

मेरा सही नाम विजय कुमार अजमेरा (VIJAY KUMAR AJMERA) पिता प्रेम चंद अजमेरा है, जो कि मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं बैंक पासबुक पर दर्ज है. किन्तु मेरे कुछ शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों पर त्रुटिवश मेरा अधुरा नाम विजय (VIJAY) दर्ज हो गया है, विजय एवं विजय कुमार अजमेरा दोनो नाम एक व्यक्ति के होकर मेरे ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम विजय कुमार अजमेरा (VIJAY KUMAR AJMERA) पिता प्रेम चंद अजमेरा लिखा– पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना– पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(विजय)	**(विजय कुमार अजमेरा)**
(VIJAY)	**(VIJAY KUMAR AJMERA)**
	पिता– प्रेम चंद अजमेरा
	पता– 227, क्लर्क कॉलोनी, परदेशीपुरा,
	इन्दौर (म.प्र.).

(G-2692)

नाम परिवर्तन

मैं, चन्द्रप्रकाश पिता श्री रामअवतार, निवासी– म.नं. 1423, उदय नगर नं. 2. व्ही.एफ.जे. इस्टेट, थाना रांझी, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे शासकीय एवं अन्य सभी कार्यों के लिये अपना नाम परिवर्तित कर चंद्र प्रकाश तिवारी (CHANDRA PRAKASH TIWARI) पिता राम अवतार तिवारी (RAM AVTAR TIWARI) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे चंद्र प्रकाश तिवारी (CHANDRA PRAKASH TIWARI) पिता राम अवतार तिवारी (RAM AVTAR TIWARI) के नाम से ही जाना– पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(चन्द्रप्रकाश) पिता– श्री रामअवतार	(चंद्र प्रकाश तिवारी) **(CHANDRA PRAKASH TIWARI)** पिता– राम अवतार तिवारी (RAM AVTAR TIWARI).

(G-2693)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रतिमा देवक आत्मजा श्री धनराज देवक, निवासी– संजय गांधी नगर, मोदी बाड़ा, सदर कैंट, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश प्रतिमा देवक (PRATIMA DEVAK) दर्ज हो गया है, जबकि मेरे शिक्षा संबंधित प्रमाण– पत्रों एवं मेरे जन्म प्रमाण– पत्र में मेरा नाम प्रतिभा देवक (PRATIBHA DEVAK) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम प्रतिमा देवक (PRATIMA DEVAK) के स्थान पर प्रतिभा देवक (PRATIBHA DEVAK) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा– पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रतिमा देवक) **(PRATIMA DEVAK)**	(प्रतिभा देवक) **(PRATIBHA DEVAK).**

(G-2694)

नाम परिवर्तन

मैं, कमलेश पिता श्री पंचम लाल, निवासी– म.नं. 25, गांव हीरापुर, कंचनपुरी, नीची, जबलपुर (म.प्र.). मेरे शासकीय एवं अन्य सभी कार्यों के लिये अपना नाम परिवर्तित कर कमलेश परस्ते (KAMLESH PARSTE) पिता पंचम लाल (PANCHAM LAL) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे कमलेश परस्ते (KAMLESH PARSTE) पिता पंचम लाल (PANCHAM LAL) के नाम से ही जाना– पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कमलेश)	(कमलेश परस्ते) **(KAMLESH PARSTE)** पिता– पंचम लाल (PANCHAM LAL).

(G-2695)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम दिव्या शर्मा पति श्री हेमंत शर्मा (DIVYA SHRAMA W/o. HEMANT SHRMA) था. वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/व्यक्तिगत कार्यवाही एवं समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम दिव्यानी शर्मा पति श्री हेमंत शर्मा (DIVYANI SHRMA W/o. HEMANT SHRMA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(दिव्या शर्मा)	(दिव्यानी शर्मा). पता– 174, प्रजापत नगर, सेक्टर ई, इंदौर (म.प्र.).

(G-2696)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम प्राग सिंह परिहार (PRAG SINGH PARIHAR) पिता भोटे सिंह, निवासी– 11/1 साई नगर, गौशला गैस गोदाम रोड, आर्मी स्कूल के पास, लाल टिपारा, मोरार, मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम प्रयाग सिंह परिहार (PRAYAG SINGH PARIHAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम प्राग सिंह परिहार (PRAG SINGH PARIHAR) पिता भोटे सिंह है, जो कि मेरे मतदाता प्रमाण–पत्र, सर्विस बुक में अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में मेरा सही नाम प्राग सिंह परिहार (PRAG SINGH PARIHAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(प्रयाग सिंह परिहार)
(PRAYAG SINGH PARIHAR)

नया नाम

(प्राग सिंह परिहार)
(PRAG SINGH PARIHAR).

(G-2697)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र व स्कूल अभिलेख में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम धिरज सिंह कनेश (DHIRAJ SINGH KANESH) अंकित हो गया है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम उदय वीर सिंह कनेश (UDAY VEER SINGH KANESH) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरे पुत्र का सही नाम उदय वीर सिंह कनेश (UDAY VEER SINGH KANESH) लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(धुंधार सिंह कनेश)
पता– 560, दत्त नगर, स्कीम नं. 97/4,
दत्त मंदिर के पास, राजेन्द्र नगर इन्दौर (म.प्र.).

(G-2698)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरी पुत्री का नाम उर्वशी कनेश (URVASHI KANESH) अंकित हो गया है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम दिशा कनेश (DISHA KANESH) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखो में मेरी पुत्री का सही नाम दिशा कनेश (DISHA KANESH) लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(धुंधार सिंह कनेश)
पता– 560, दत्त नगर, स्कीम नं.97/4,
दत्त मंदिर के पास, राजेन्द्र नगर इन्दौर (म.प्र.).

(G-2699)

CHANGE OF NAME

I,SAPNA CHHABRIYA D/o. PARASRAM CHHABRIYA here by declare that I have changed my name as DIVYA DEMBLA W/o. Naresh Dembla so, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name

(SAPNA CHHABRIYA)

New Name

(DIVYA DEMBLA)
Add:- 56-B, Palsikar Colony, Indore (M.P.).

(G-2700)

नाम परिवर्तन

मैंने अपना नाम मुस्कान हबलानी (MUSKAN HABLANI) से बदलकर तनुजा कोडवानी (TANUJA KODWANI) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम तनुजा कोडवानी (TANUJA KODWANI) लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मुस्कान हबलानी)

नया नाम

(तनुजा कोडवानी)

पता– 18, उत्कर्ष विहार कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2701)

नाम परिवर्तन

विवाह के पूर्व मेरा नाम श्रुति पुरंदरे (SHRUTI PURANDARE) था. विवाह के पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तन कर अनुजा बाकरे (ANUJA BAKRE) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे नये नाम अनुजा बाकरे (ANUJA BAKRE) के नाम से जाना–पहचाना जावे तथा मेरे समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नया नाम लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(श्रुति पुरंदरे)

नया नाम

(अनुजा बाकरे)

पता–22–23–ए, पुष्प वाटिका,
वंदना नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2702)

नाम परिवर्तन

मैं, कृष्णा गुर्जर पिता श्री राममिलन गुर्जर, मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा पूर्व नाम कृष्णपाल गुर्जर पिता श्री राममिलन गुर्जर दर्ज है. अब मैं, उक्त दस्तावेजों में अपना सही नाम कृष्णा गुर्जर पिता श्री राममिलन गुर्जर दर्ज करवाना चाहता हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे सहर नाम कृष्णा गुर्जर पिता श्री राममिलन गुर्जर से जाना– पहचाना, लिखा– पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(कृष्णपाल)

नया नाम

(कृष्णा गुर्जर)

पिता– श्री राममिलन गुर्जर
निवास– अकोला, दतिया (म.प्र.).

(G-2703)

नाम परिवर्तन

मैं, सेहरूल बी पति श्री रेहमतुला मंसूरी, मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा पूर्व नाम शहरून हिशा पति श्री रेहमतुला मंसूरी दर्ज है. अब मैं, उक्त दस्तावेजों में अपना सही नाम सेहरूल बी पति श्री रेहमतुला मंसूरी दर्ज करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे सही नाम सेहरूल बी पति श्री रेहमतुला मंसूरी के नाम से जाना– पहचाना, लिखा– पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शहरून हिशा)

नया नाम

(सेहरूल बी)

पति– श्री रेहमतुला मंसूरी
पता– म.नं. 237/A, नवीन नगर, ऐशबाग,
भोपाल (म.प्र.).

(G-2704)

नाम परिवर्तन

मैं, रविना परते पिता श्री सुक्कल परते, मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा पूर्व नाम रामी परते पिता श्री सुक्कल परते दर्ज है. अब मैं, उक्त दस्तावेजों में अपना सही नाम रविना परते पिता श्री सुक्कल परते दर्ज करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में सभी जगह मुझे मेरे सही नाम रविना परते पिता श्री सुक्कल परते के नाम से जाना– पहचाना, लिखा– पढ़ा, एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(रामी परते)

नया नाम

(रविना परते)
पिता– श्री सुक्कल परते
पता– धावदा खर, धांवडखर, चुनालाहोना,
जिला बैतूल (म.प्र.).

(G-2705)

CHANGE OF NAME

I, Nisha Rani D/o. NC(E) Uday Raj Kori residing of Siddeshwar Nagar, Gali No. 1, Morar, Dist. Gwalior (M.P.) have changed my name from Nisa Rani to Nisha Shakya.

Old Name

(Nisha Rani)

New Name

(Nisha Shakya).

(G-2706)

नाम परिवर्तन

मैं, अंजली गौतम पति थानसिंह गौतम, निवासी– ग्राम रुपझर, तहसील परसवाडा, जिला बालाघाट (म.प्र.). मेरे पति के पेंशन रिकॉर्ड में नॉमिनेशन में मेरा नाम अंग्रेजी वर्णमाला में ANJALI T GAUTAM अंकित है. मेरा सही नाम ANJALI GOUTAM है, जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज चला आ रहा है. मैं, अपने पति के पेंशन रिकॉर्ड में नॉमिनेशन में अपना नाम सही नाम ANJALI GOUTAM दर्ज करवाना चाहती हूँ. ANJALI T GAUTAM एवं ANJALI GOUTAM एक ही महिला के नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम अंजली गौतम (ANJALI GOUTAM) के नाम से जाना–पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(ANJALI T GAUTAM)

नया नाम

(अंजली गौतम)
(ANJALI GOUTAM).

(G-2707)

नाम परिवर्तन

मैं, जयवंती दलाल पत्नी पांडूरंग दलाल, पता–एफ–4, विक्टर पैलेस, टाटा शोरूम के पास, विजय नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरा सही नाम जयवंती दलाल (Jaywanti Dalal) है, जो कि सही है एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम ज्योति दलाल दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम जयवंती दलाल (Jaywanti Dalal) के नाम से जाना– पहचाना जावे एवं अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(ज्योति दलाल)

नया नाम

(जयवंती दलाल)
पत्नी– पांडूरंग दलाल.

(G-2708)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम प्रमोद समाधिया आ. श्री लालता प्रसाद, निवासी– रेंहट, ग्वालियर (म.प्र.). मेरी पुत्री का नाम मुस्कान समाधिया पुत्री श्री प्रमोद समाधिया है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश कृष्णा पुत्री श्री प्रमोद शर्मा कर दिया है. जबकि मेरी पुत्री के समस्त दस्तावेजों में उसका सही नाम मुस्कान समाधिया पुत्री श्री प्रमोद समाधिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को उसके सही नाम मुस्कान समाधिया पुत्री श्री प्रमोद समाधिया के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक

(प्रमोद समाधिया)
आ. श्री लालता प्रसाद.

(G-2709)

नाम परिवर्तन

मैं, धनबाई पत्नी रामकिशन, निवासी– म.नं. 139, ग्राम गुर्रा, इटारसी, नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरा सही नाम धनबाई (Dhanbai) है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम धनबन्ती पटेल (Dhanvanti Patel) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे धनबाई (Dhanbai) के नाम से जाना-- पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(धनबन्ती पटेल)	**(धनबाई)**
(Dhanvanti Patel)	**(Dhanbai).**

(G-2710)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम विशाल मालवीय पिता मुकेश (VISHAL MALVIYA S/o. MUKESH), निवासी– ग्राम डाबरी, सीहोर, इछावर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम विकाश (VIKASH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण-- पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम विशाल मालवीय पिता मुकेश (VISHAL MALVIYA S/o. MUKESH) के नाम से जाना– पहचाना व पढ़ा जावे.

आवेदक

(मुकेश).
पिता– बलदेव.

(G-2711)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम दमन सिंह (DAMAN SINGH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम दविंदर गुराया (DAWINDER GURAYA) पिता रंजीत सिंह है, जो कि उसके जन्म प्रामाण– पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में दविंदर गुराया (DAWINDER GURAYA) के नाम से जाना– पहचाना व पढ़ा जावे.

आवेदक

(रंजीत सिंह)
पता-- ग्राम पिपरौ, पोस्ट समाया, थाना चीनौर,
तहसील चीनौर. पिपरौ, जिला ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2712)

आम सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 72 के तहत्)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सेटेलाइट कार्पोरेशन, पताः 405, अपोलो टॉवर 2. एम.जी. रोड इन्दौर (म.प्र.) से श्री संजय अग्रवाल पिता श्री दिनानाथ अग्रवाल, श्रीमती नीना अग्रवाल पति श्री संजय अग्रवाल एवं श्रीमती रितु मनोज अग्रवाल ने दिनांक 10 फरवरी 2026 को फर्म से निवृत्ति प्राप्त कर ली है. श्री प्रतीक जैन पिता श्री अश्विन जैन दिनांक 10 फरवरी 2026 को नये साझेदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं. श्री मंयक डोसी, प्रतीक जैन एवं आशीष धौंस फर्म में साझेदार है.

मेसर्स सेटेलाइट कार्पोरेशन

मयंक डोसी

(भागीदार).

(G-2713)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम सूरज (SURAJ) पिता पिन्टू था, जो मेरे कुछ शासकीय/ अशासकीय दस्तावेजों पर अंकित है. किन्तु मैंने अपना नाम परिवर्तित कर अर्जुन सिंगार (ARJUN SINGHAR) पिता पिन्टू सिंगार कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा परिवर्तित नाम अर्जुन सिंगार (ARJUN SINGHAR) पिता पिन्टू सिंगार लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना– पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सूरज)	**(अर्जुन सिंगार)**
(SURAJ)	**(ARJUN SINGHAR)**
पिता– पिन्टू	पिता– पिन्टू सिंगार
	पता– ग्राम बलेडी, तह. गधंवानी, धार (म.प्र.).

(G-2714)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम डॉली (DOLLY) पिता बाबूराव है, जो कि उसके जन्म प्रमाण– पत्र पर अंकित है. किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम डॉली (DALI) पिता बाबूराव दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों पर उसका सही नाम डॉली (DOLLY) पिता बाबूराव लिखा– पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना– पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बाबूराव)

पता– 1166, भागीरथपुरा, वल्लभ नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2715)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स हाईवे मोटर्स जिसका पंजीयन क्रमांक 04–14–01–00011–08 दिनांक 27 मई 2008 है, एवं कार्यालय पता शारदा चौक, मदन महल, जबलपुर (म.प्र.). उक्त फर्म में दिनांक 26 नवम्बर 2025 को श्रीमती संजना साहनी पिता श्री संदीप साहनी स्वेच्छा से सेवानिवृत हुई. उपरोक्त फर्म में वर्तमान कुल तीन सक्रिय भागीदार है, भागीदार क्र. 1. श्री संदीप साहनी पिता स्व. श्री आनंद स्वरुप साहनी, 2. श्रीमती वाणी साहनी पति श्री संदीप साहनी एवं 3. संचित साहनी पिता श्री संदीप साहनी हैं, सभी निवासी 1043–1044, पचपेढ़ी, साऊथ सिविल लाइन्स जबलपुर (म.प्र.) हैं.

फर्म मेसर्स हाईवे मोटर्स

संदीप साहनी

(भागीदार).

(G-2716)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम गौरांशी पुरोहित (GAURANSHI PUROHIT) पिता राहुल कुमार है, जो कि उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं उसके शैक्षणिक दस्तावेजों पर अंकित है. किन्तु मेरी पुत्री के आधार कार्ड पर त्रुटिवश उसका नाम गौरानवी पुरोहित (GAURANVI PUROHIT) पिता राहुल पुरोहित दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों पर उसका सही नाम गौरांशी पुरोहित (GAURANSHI PUROHIT) पिता राहुल कुमार लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना– पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राहुल कुमार)
पता– वार्ड नं. 10 टाडई मोहल्ला,
खनियाधाना, शिवपुरी (म.प्र.).

(G-2717)

नाम परिवर्तन

मैं, मचल सिंह अहिरवार (Machal Singh Ahirwar) पुत्र बाबू लाल (Babu Lal), निवासी– एम–20, मेन रोड, कांछी खेड़ा, करैयाहाट, विदिशा (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड/दस्तावेजों में मेरा नाम संतोष कुमार (Santosh Kumar) C/o. सरदार सिंह (Sardar Singh) अंकित है. किंतु मेरे समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों के अनुसार मेरा सही नाम मचल सिंह अहिरवार (Machal Singh Ahirwar) पुत्र बाबू लाल (Babu Lal) है जो सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे इसी नाम से जाना–पहचाना व अभिलेखों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(संतोष कुमार)
(Santosh Kumar)
C/o. सरदार सिंह
(Sardar Singh)

नया नाम

(मचल सिंह अहिरवार)
(Machal Singh Ahirwar)
पुत्र बाबू लाल
S/o. Babu Lal.

(G-2718)

नाम परिवर्तन

मैं, कल्पना शर्मा (Kalpana Sharma) पत्नी श्री प्रथमेश राय एवं पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा हूँ. मेरे वोटर कार्ड / कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम कल्पना एस. राय (Kalpana S. Rai) दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम कल्पना शर्मा (Kalpana Sharma) दर्ज है. उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के अर्थात् एक ही महिला के हैं. मेरा सही नाम कल्पना शर्मा (Kalpana Sharma) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे कल्पना शर्मा (Kalpana Sharma) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(कल्पना शर्मा)
(Kalpana Sharma)
पता– 1140, नेपियर टाउन, इन्फ्रंट ऑफ कॉमर्शियल ऑटो,
शास्त्री ब्रिज के पास, जबलपुर (म.प्र.).

(G-2719)

नाम परिवर्तन

मैं, किरण शर्मा (KIRAN SHARMA) पत्नी श्री प्रकाश शर्मा (PRAKASH SHARMA), निवासी– श्री जी ज्वेलर्स, खंजाची लाइन, सीहोर (म.प्र.). यह कि विवाह से पूर्व मेरा नाम किरन सोनी पुत्री श्री लालूभाई सोनी था, जो कि मेरे पैन कार्ड में अंकित है एवं मेरी भू अभिलेख खसरा में मेरा नाम किरन सोनी अंकित है, जो कि मेरा विवाह पूर्व नाम है, जबकि विवाह उपरान्त मेरा सही नाम किरण शर्मा पत्नी श्री प्रकाश शर्मा (KIRAN SHARMA W/o. PRAKASH SHARMA) है, जो कि मेरे आधार कार्ड, समग्र आई.डी. पैन कार्ड, पासपोर्ट में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे किरण शर्मा पत्नी श्री प्रकाश शर्मा (KIRAN SHARMA W/o. PRAKASH SHARMA) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदिका

(किरण शर्मा)

(KIRAN SHARMA)

पत्नी– श्री प्रकाश शर्मा

W/o. PRAKASH SHARMA

(G-2720)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मनस्वी राणा पुत्री श्री घनश्याम सिंह राणा, निवासी– ओफ्फो की बगिया, नाका चन्द्रवदनी, लश्कर ग्वालियर (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड मे गलती से बबली राणा लिखा गया है, जबकि मेरा सही नाम मनस्वी राणा पुत्री श्री घनश्याम सिंह राणा है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मनस्वी राणा पुत्री श्री घनश्याम सिंह राणा के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(बबली राणा)

नया नाम

(मनस्वी राणा)

पुत्री– श्री घनश्याम सिंह राणा

(G-2721)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम नंदनी जोशी (NANDANI JOSHI) पिता सुनील जोशी है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण– पत्र पर अंकित है. किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम नंदिनी जोशी (NANDINI JOSHI) पिता सुनील जोशी दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी दस्तावेजों पर मेरा सही नाम नंदनी जोशी (NANDANI JOSHI) पिता सुनील जोशी लिखा–पढ़ा जावे एवं इसी नाम से जाना– पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(नंदिनी जोशी)

(NANDINI JOSHI)

नया नाम

(नंदनी जोशी)

(NANDANI JOSHI)

पिता– सुनील जोशी

पता– 119, सुखदेव नगर, इन्दौर (म.प्र.)

(G-2722)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी "भागीदारी फर्म" M/S SHUBH POLYTECH पंजीयन क्रमांक 0061/13–14 पंजीयन, दिनांक 31 मई 2013, पता– जे.आर. बिरला रोड़, सतना, मध्यप्रदेश 485001 कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाए, रीवा, संभाग रीवा से पंजीकृत फर्म है. यह कि इस भागीदारी फर्म में पंजीयन के समय में 1. SHRI PRATEEK GARG, 2. SHRI PADAM PATTA GARG, 3. SMT SARITA AGRAWAL, 4. SMT BABITA AGRAWAL पार्टनर थे, जिसमे दिनांक 01 दिसम्बर 2025 से श्रीमती सरिता अग्रवाल फर्म से पृथक् हो गई हैं. अतः श्रीमती सरिता अग्रवाल का दिनांक 01 दिसम्बर 2025 से भागीदारी फर्म M/S SHUBH POLYTECH SATNA (M.P.) से कोई लेना देना नही रहेगा.

M/S SHUBH POLYTECH

प्रतीक गर्ग,
पदमपत्त गर्ग,
बबिता अग्रवाल,
(पार्टनर).

(G-2723)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम बबलू नामदेव पिता श्री कोमल सिंह (BABLU NAMDEV S/o. KOMAL SINGH), निवासी– हाउस नं. 209, छोला रोड, छोला नाका, अटल अय्यूब नगर, इतवारा, भोपाल, जी.पी. हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बल्लू प्रसाद पिता श्री कोमल सिंह (BALLU PRASAD S/o. KOMAL SINGH) अंकित हो गया हैं, जो कि गलत है. मेरा सही नाम स्थायी निवास प्रमाण– पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम बबलू नामदेव पिता श्री कोमल सिंह (BABLU NAMDEV S/o. KOMAL SINGH) के नाम से जाना– पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बल्लू प्रसाद)	**(बबलू नामदेव)**
(BALLU PRASAD)	**(BABLU NAMDEV)**
पिता– श्री कोमल सिंह	पिता– श्री कोमल सिंह
S/o. KOMAL SINGH	S/o. KOMAL SINGH.

(G-2724)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश शर्मा पिता अम्बालाल शर्मा, निवासी– ग्राम जवासिया, तह. दलौदा, जिला मन्दसौर (म.प्र.). मेरे पुत्र दीपक शर्मा पिता राजेश शर्मा (DEEPAK SHARMA). पूर्व में मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में देवेन्द पिता राजेश शर्मा इन्द्राज हो गया था, जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में समग्र आई.डी., शैक्षणिक दस्तावेजों, जन्म प्रमाण–पत्र में दीपक शर्मा दर्ज है जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को दीपक शर्मा पिता राजेश शर्मा (DEEPAK SHARMA) के नाम से जाना– पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजेश शर्मा)
पिता– अम्बालाल शर्मा.

(G-2725)

नाम परिवर्तन

मैं, दशरथ दास पिता रमेश दास, निवासी– ग्राम जमुनिया मीना, तह. व जिला मन्दसौर (म.प्र.). पूर्व में मेरे पुत्र का नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश विनय दास पिता दशरथ दास अंकित हो गया था, जबकि सभी दस्तावेजों में समग्र आई.डी, शैक्षणिक संस्था, जन्म प्रमाण– पत्र में प्रद्युम दास पिता दशरथ दास दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को सही नाम प्रद्युम दास (PRADUAM DAS) पिता दशरथ दास (DASHRATH DAS) के नाम से जाना– पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दशरथ दास)
पिता– रमेश दास.

(G-2726)

उपनाम परिवर्तन

मैं, सुखदीन राजपूत पुत्र लल्लू राम लोधी, निवासी– कुडयाला, तहसील पलेरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा भाग सुकनी लोधी (Sukani Lodhi) दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम सुखदीन राजपूत (Sukhdeen Rajpoot) पुत्र लल्लू राम लोधी (Lallu Ram Lodhi) है, जो कि मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/ व्यक्तिगत दस्तावेजों में सही नाम सुखदीन राजपूत (Sukhdeen Rajpoot) पुत्र लल्लू राम लोधी (Lallu Ram Lodhi) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सुकनी लोधी)
(Sukani Lodhi)

नया नाम

(सुखदीन राजपूत)
(Sukhdeen Rajpoot)
पुत्र– लल्लू राम लोधी
(Lallu Ram Lodhi).

(G-2727)

नाम परिवर्तन

मैं, विजयता सिरोतियाँ VIJAYTA SIROTIYAN पति राजकुमार सिरोतियाँ, निवासी– खकनारखुर्द, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम विजीता लिखा गया है, जबकि मेरा सही नाम विजयता सिरोतियाँ VIJAYTA SIROTIYAN है. अतः प्रकाशन उपरान्त समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मुझे विजीता के स्थान पर सही नाम विजयता सिरोतियाँ VIJAYTA SIROTIYAN के नाम से जाना– पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(विजीता)

नया नाम

(विजयता सिरोतियाँ)
(VIJAYTA SIROTIYAN).

(G-2728)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रवीण पिता जगन्नाथ महाजन, निवासी– ग्राम नायर, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र जय पिता प्रवीण महाजन के आधार कार्ड में त्रुटिवश रूपाली C/o रूपालीबाई महाजन लिखा गया है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम जय पिता प्रवीण महाजन (Jay Mahajan) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को समस्त शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में रूपाली C/o रूपालीबाई महाजन के स्थान पर जय पिता प्रवीण महाजन (Jay S/o. Pravin Mahajan) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रूपाली C/o रूपालीबाई महाजन)	**(जय पिता प्रवीण महाजन)** **(Jay S/o. Pravin Mahajan).**

(G-2729)

नाम परिवर्तन

मैं, आरती शर्मा पत्नी श्री विकास पचौरी, निवासी– वार्ड नं. 18, गली नं. 6, श्रीराम कॉलोनी, मुरेना (म.प्र.). मेरे पुत्र गर्व पचौरी (GARV PACHAURI) के शैक्षणिक दस्तावेजों अर्थात अंकसूची में मेरा नाम त्रुटिवश आरती देवी (ARTI DEVI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम आरती शर्मा (ARTI SHARMA) है, जो कि मेरे आधार कार्ड व मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों व स्थाई निवासी प्रमाण– पत्र में दर्ज है. मैं, अपना नाम मेरे पुत्र के सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में व अंकसूची में आरती शर्मा (ARTI SHARMA) दर्ज करवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरा सही नाम आरती शर्मा (ARTI SHARMA) नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आरती देवी) (ARTI DEVI)	**(आरती शर्मा)** (ARTI SHARMA) पत्नी– श्री विकास पचौरी.

(G-2730)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम लक्ष्मीबाई पिता स्वर्गीय श्री निर्भय सिंह परमार है, परंतु बचपन से मुझे घर परिवार एवं रिश्तेदारों में बत्तीबाई के नाम से पुकारा जाता है, वर्तमान में मेरे आधार कार्ड में लक्ष्मीबाई पति श्री प्रेम नारायण दर्ज है. मुझे लक्ष्मीबाई एवं बत्तीबाई दोनों नाम से जाना जाता है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे लक्ष्मीबाई पति श्री प्रेम नारायण के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(लक्ष्मीबाई)

निवासी– ग्राम पचामा, जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-2731)

नाम परिवर्तन

मैं, आरिफ खान पिता उस्मान खान, निवासी– म.नं. 401, वार्ड नं 16, ग्राम – पहेडा नई आबादी, तहसील मल्हारगढ, जिला मंदसौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश आरि फ (A REEPH) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरी अंकसूची, मतदाता परिचय–पत्र में मेरा नाम आरिफ खान (AARIF KHAN) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे आधार कार्ड आदि सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में आरिफ खान पिता उस्मान खान (AARIF KHAN S/o. USMAN KHAN) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आरि फ) **(A REEPH)**	**(आरिफ खान)** **(AARIF KHAN).**

(G-2732)

नाम परिवर्तन

मैं, कृष्णा गुर्जर पिता सुरेशचन्द्र गुर्जर, निवासी– म. नं. 99, वार्ड नं. 17, ग्राम जलोदिया, तहसील मल्हारगढ, जिला मंदसौर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश देवकरण गुर्जर (DEVKARAN GURJAR) नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी कक्षा 10वीं की अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र में मेरा नाम कृष्णा गुर्जर (KRISHNA GURJAR) दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय/अशासकीय/ व्यक्तिगत दस्तावेजों में कृष्णा गुर्जर पिता सुरेशचन्द्र गुर्जर (KRISHNA GURJAR S/o. SURESHCHANDRA GURJAR) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा– पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(देवकरण गुर्जर)	(कृष्णा गुर्जर)
(DEVKARAN GURJAR)	**(KRISHNA GURJAR).**

(G-2733)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/S SHREE BUILDERS Office At Shop No. 07 Vaishnavi Complex Opposit Alka Talkies Chhindwara Tehsil & Dist. Chhindwara (M.P.) Reg.No. 04/17/01/0138/18 Date 10–08–2018 द्वारा दिनांक 27–12–2025 को आपसी सहमति से Shri Praveen Suryawanshi S/o. Manohar Lal Suryawanshi aged about 54 Years, Resident Ward No. 09, Patel Mohalla, Mankadehi, Tehsil Parsia, Dist. Chhindwara (M.P.) एवं Smt. Archana Dubey W/o. Santosh Dubey aged about 43 Years, Resident Ward No. 7 At Pateli Mohalla Jhilmili Tehsil & Dist. Chhindwara (M.P.). भागीदारी फर्म से पृथक् हुए.

M/S SHREE BUILDERS

Parvesh Singh Thakur .

(Partner)

Add:- Ward No. 28, Lalbag Road Near of Sai Mandir,
Alka Talkies, Tehsil & Dist. Chhindwara (M.P.).

(G-2734)

नाम परिवर्तन

मैं, नरेश प्रसाद केवट पुत्र भगवान दास, निवासी– 182, वार्ड नं. 08, अमगवां, अनूपपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम इमरान केवट (Imran kewat) पुत्र नरेश केवट (Naresh Kewat) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन केवट (Aryan Kewat) पुत्र नरेश प्रसाद केवट (Naresh Prasad Kewat) है, जो कि सही है, जो कि उसके जन्म प्रमाण– पत्र में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्यन केवट (Aryan Kewat) पुत्र नरेश प्रसाद केवट (Naresh Prasad Kewat) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय एवं व्यक्तिगत दस्तावेजों में लिखा– पढ़ा एवं जाना– पहचाना, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(नरेश प्रसाद केवट)

पुत्र– भगवान दास.

(G-2735)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/S SHREE METAL Office- Shop. No. 7, Infront Of Alka Talkies, Vaishno Complex, Chhindwara, Tehsil & Dist. Chhindwara (M.P.) Reg.No. 04/17/01/0345/21 Date. 15–03–2021 द्वारा दिनांक 27 दिसम्बर 2025 को आपसी सहमति से Shri Santosh Dubey S/o. Shri Dulichand Dubey, Resident Ward No. 7 At Pateli Mohalla Jhimiti Tehsil & Dist. Chhindwara (M.P.) भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया. दिनांक 27 दिसम्बर 2025 को Shri Parvesh Singh Thakur S/o. Shri Nirpat Singh Thakur Resident, Ward No- 29, Lalbagh Road, Near Sai Mandir, Behind Alka Talkies, Chhindwara, Tehsil & Dist. Chhindwara (M.P.) भागीदारी फर्म से पृथक् हुए. दिनांक 27 दिसम्बर 2025 को भागीदारी फर्म का पता परिवर्तन कर Khasra No 54/8 Gram Hasanpur, Tehsil Chourai, Dist. Chhindwara (M.P.) किया गया.

M/S SHREE METAL

Deepak Dubey
(Partner)
Add- Ward No. 07, Jhimti Post Jhimiti,
Chhindwara, Tehsil Chourai, Dist. Chhindwara (M.P.)

(G-2736)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेरणा मोदी पुत्री श्री हरिमोहन मोदी, निवासी– ई–114/12, शिवाजी नगर, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पास, शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री पहल मोदी (PAHAL MODI) है, जिसका आधार कार्ड में नाम गौरवांशी राठौर (GAURVANSHI RATHORE) व जन्म प्रमाण–पत्र में गौरवांशी मोदी (GAURVANSHI MODI) अंकित है, जबकि अंकसूची में पहल मोदी (PAHAL MODI) है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरी पुत्री का नाम सभी शासकीय व अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में परिवर्तित कर पहल मोदी (PAHAL MODI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(प्रेरणा मोदी).

(G-2737)

नाम परिवर्तन

मैं, ओमवती ठाकुर पुत्री स्व. श्री कौड़ी लाल ठाकुर, निवासी – 3820 सुभाष नगर, अधारताल, जबलपुर (म.प्र.). मेरे पिता के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम हिन्दी में ओमवती एवं अंग्रेजी में (Ombati) दर्ज हो गया है. यह कि मेरे दस्तावेजों एवं सर्विस रिकार्ड में उल्लेखित दोनों नाम Ombati तथा Omvati मेरे ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम ओमबती ठाकुर (Ombati Thakur) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(ओमवती ठाकुर)
(Omvati Thakur)

नया नाम

(ओमबती ठाकुर)
(Ombati Thakur)
पुत्री– स्व. श्री कौड़ी लाल ठाकुर.

(G-2738)

नाम परिवर्तन

मैं, अजय कुमार पुत्र श्री हरदयाल, मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम अजय कुमार एवं पिता जी का नाम हरदयाल अंकित है. दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, जबकि मेरे जाति प्रमाण– पत्र एवं मूल निवासी प्रमाण– पत्र में मेरा नाम अजय कुमार आर्य है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे भविष्य में अजय कुमार के नाम से जाना–पहचाना एवं शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अजय कुमार आर्य)

नया नाम

(अजय कुमार)
पुत्र– श्री हरदयाल
निवासी– ब्रजमोहन तेल मिल के पीछे,
चार शहर का नाका, हजीरा ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2739)

नाम परिवर्तन

मेरे शासकीय दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरा नाम अंजना प्रसाद गुहा (ANJANA PRASAD GUHA) पत्नी श्री बिश्वदेब गुहा (BISHWADEB GUHA) है. मेरी सर्विस पुस्तिका एवं अन्य दस्तावेजों में मेरे भिन्न– भिन्न नाम जैसे अंजना बी गुहा, अंजना गुहा, अंजना प्रसाद बी गुहा, अंजना पी गुहा, अंजना प्रसाद अंकित है, जो कि गलत व अधूरे नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अंजना प्रसाद गुहा (ANJANA PRASAD GUHA) पत्नी श्री बिश्वदेब गुहा (BISHWADEB GUHA) के नाम से जाना– पहचाना जावे.

पुराना नाम

(अंजना बी गुहा, अंजना गुहा,
अंजना प्रसाद बी गुहा, अंजना पी गुहा, अंजना प्रसाद)

नया नाम

(अंजना प्रसाद गुहा)
(ANJANA PRASAD GUHA)
पत्नी– श्री बिश्वदेब गुहा
W/o. BISHWADEB GUHA.

(G-2740)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम फैज अली पुत्र श्री आसिफ अली, निवासी – म.नं. 105, वार्ड नं. 2, खेड़ीपुरा, खिरकिया, जिला हरदा (म.प्र.). उसके जन्म प्रमाण–पत्र में एवं अन्य सभी शासकीय, अशासकीय तथा समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका सही नाम फैज अली दर्ज है, किन्तु उसके आधार कार्ड में उसका नाम मुफेज दर्ज है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम मुफेज (MUFEZ) पुत्र श्री आसिफ अली के स्थान पर सही नाम फैज (FEZ) अली पुत्र श्री आसिफ अली के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(आसिफ अली)

(G-2741)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का नाम निहिर सिंह पिता राकेश कुमार दोहरे (NIHIR SINGH D/o. RAKESH KUMAR DOHRE), निवासी– 546, डोहर मोहल्ला गंज, सीहोर (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम नहर सिंह पिता राकेश कुमार (NAHAR SINGH D/o. RAKESH KUMAR) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण– पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम निहिर सिंह पिता राकेश कुमार दोहरे (NIHIR SINGH D/o. RAKESH KUMAR DOHRE) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(नहर सिंह)	**(निहिर सिंह)**
(NAHAR SINGH)	**(NIHIR SINGH)**
पिता– राकेश कुमार	पिता– राकेश कुमार दोहरे
(D/o. RAKESH KUMAR)	(D/o. RAKESH KUMAR DOHRE).

(G-2742)

नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र अंशु ANSHU पिता श्री अरूण राव, निवासी– 126, बामन टेकरी, तिलोर खुर्द, इन्दौर (म.प्र.). पूर्व में मेरे पुत्र को अंशु ANSHU पिता श्री अरूण राव के नाम से जाना जाता था. मेरे पुत्र को अब अंशु गोपाले ANSHU GOPALE पिता श्री अरूण राव के नाम से जाना जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को अंशु ANSHU के स्थान पर सही नाम अंशु गोपाले ANSHU GOPALE के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अरूण राव)
पिता– श्री सुरेश.

(G-2743)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम विवांशु पाटीदार (VIVANSHU PATIDAR) पिता गोविन्द पाटीदार, निवासी– ग्राम खरमपुर, पोस्ट लबरावदा, तहसील धार, जिला धार (म.प्र.). मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र में सही नाम विवांशु पाटीदार दर्ज है, जबकि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश वैभव अंकित हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को सही नाम विवांशु पाटीदार के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(गोविन्द पाटीदार).

(G-2744)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम हेमंत साहू पिता स्व. श्री सुंदरलाल साहू, निवासी– रढांल, पोस्ट हसालपुर, तहसील व जिला होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड एवं जन्म प्रमाण–पत्र में त्रुटिवश उसका नाम पिखर साहू पिता श्री हेमंत साहू (PIKHAR SAHU S/o. HEMANT SAHU) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को सही नाम प्रखर साहू पिता श्री हेमंत साहू (PRAKHAR SAHU S/o. HEMANT SAHU) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(हेमंत साहू)
पिता– स्व. श्री सुंदरलाल साहू.

(G-2745)

नाम परिवर्तन

मैं, आधार बाई के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अदार बाई अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे अन्य दस्तावेजों जैसे समग्र आई.डी., स्थाई प्रमाण– पत्र में मेरा नाम आधार बाई (AADHAAR BAI) अंकित है, जो कि सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम आधार बाई के नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(आधार बाई)
पत्नी– कालूराम
निवासी– ग्राम सिराडी, तहसील श्यामपुर,
जिला सीहोर (म.प्र.).

(G-2746)

नाम परिवर्तन

मैं, सोनू आत्मज रामप्रसाद, निवासी– ग्राम सुन्द्रेल, तहसील सतवास, देवास (म.प्र.). मेरा सही नाम सोनू (SONU) आत्मज रामप्रसाद है. आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सोनारायण धनावत आत्मज रामप्रसाद धनावत अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सोनू (SONU) आत्मज रामप्रसाद के नाम से सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सोनारायण धनावत)	**(सोनू)**
(SONARAYAN DHANAWAT)	**(SONU).**

(G-2747)

नाम परिवर्तन

मैं, नितेश सुमन पुत्र श्री बरमानन्द, निवासी– किलोरच, पोस्ट कानापुर, तहसील व जिला श्योपुर (म.प्र.) मेरा नाम अंकसूचियों में नितेश सुमन पुत्र श्री बरमानन्द सुमन दर्ज है, जो कि सही है, जबकि त्रुटिवश आधार कार्ड में मेरा नाम गिरधर सुमन दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम गिरधर सुमन के स्थान पर नितेश सुमन के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(गिरधर सुमन)	**(नितेश सुमन)**
(Girdhar Suman)	**(Nitesh Suman).**

(G-2748)

नाम परिवर्तन

मेरा पुत्र जिसका वर्तमान नाम ''इबराज साहू'' Ibraj Sahu है. अब से परिवर्तित नाम ''युवराज साहू'' Yuvraj Sahu के नाम से जाना जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र का परिवर्तित नाम शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में ''युवराज साहू'' के नाम से जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राजकुमार साहू)
पता– ग्राम खरका, पोस्ट रेमर, तहसील बिजावर,
जिला छतरपुर (म.प्र.).

(G-2749)

CHANGE OF NAME

I, Nomita Jha D/o. Rambharose Jha do hereby declares that my name was wrongly mentioned as Anita Kumari in my father's service record of Grey iron foundry where as my real name is Nomita Jha and now I will be Known as Nomita Jha D/o. Rambharose Jha R/o. Khajanchi Nagar, Adhartal, Hamid Ward, Jabalpur (M.P) for all future purpose.

Old Name	New Name
(Anita Kumari)	**(Nomita Jha).**

(G-2750)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स जय बाबा बर्फानी बालाजी डेवलपर्स, पता– 93 साउथ मिलौनीगंज, जबलपुर (म.प्र.). में स्थित है. जिसका पंजीयन क्र. 04–14–01–0262–19, दिनांक 18 जनवरी 2019 है के सभी साझेदार ने आपसी सहमति से इस फर्म का समापन दिनांक 10 फरवरी 2026 से करना चाहते हैं इस दिनांक से फर्म को भंग कर फर्म का समापन किया जा रहा है.

मेसर्स जय बाबा बर्फानी बालाजी डेवलपर्स,

शमशाद खान
(भागीदार).

(G-2751)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद तालिब खोखर पिता मोहम्मद गालिब खोखर, निवासी– म.नं. 83, ग्राम खम्हेरखेडा, बीजाडांडी, मंडला (म.प्र.). मेरी पुत्री सानिया तालिब खोखर पिता मोहम्मद तालिब खोखर की 10वीं की अंकसूची में मेरा नाम तालिब खोखर दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे एवं मेरी पुत्री के समस्त सरकारी दस्तावेजों आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण–पत्र में मेरा नाम मोहम्मद तालिब खोखर पिता मोहम्मद गालिब खोखर दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में सही नाम सानिया तालिब खोखर पिता मोहम्मद तालिब खोखर के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सानिया तालिब खोखर)	(सानिया तालिब खोखर)
(SANIYA TALIB KHOKHER)	**(SANIYA TALIB KHOKHER)**
पिता– तालिब खोखर	पिता– मोहम्मद गालिब खोखर
(D/o. TALIB KHOKHER)	(D/o. MOHAMMAD TALIB KHOKHER)

(G-2752)

नाम परिवर्तन

मैं, शिवा विश्वकर्मा पिता अनिल कुमार विश्वकर्मा, निवासी– 42, संदई, बरखेरा सिकंदर, सागर बरखेरा सिकंदर, रेहली, जिला सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शिवानी पिता अनिल (SHIVANI D/o. ANIL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम शिवा विश्वकर्मा पिता अनिल कुमार विश्वकर्मा (SHIVA VISHWAKARMA D/o. ANIL KUMAR VISHWAKARMA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शिवानी पिता अनिल)	(शिवा विश्वकर्मा)
(SHIVANI D/o. ANIL)	**(SHIVA VISHWAKARMA)**
	पिता– अनिल कुमार विश्वकर्मा
	(D/o. ANIL KUMAR VISHWAKARMA).

(G-2753)

नाम परिवर्तन

मैं, मो. आबिद कुरैशी (Mo. Aabid Qureshi) आत्मज श्री नूर मोहम्मद कुरैशी, निवासी– वार्ड क्र. 03, म. नं. 93/501, अरूणा गंज पचमढी, तहसील पिपरिया, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरा वर्तमान नाम मो. आबिद कुरैशी (Mo. Aabid Qureshi) है, जो कि मेरे आधार कार्ड तथा अन्य शासकीय, अशासकीय, दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरा सही नाम सभी शासकीय रिकार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट तथा अन्य शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में अपना नाम मोहम्मद आबिद कुरैशी (Mohammad Aabid Qureshi) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मो. आबिद कुरैशी)	(मोहम्मद आबिद कुरैशी)
(Mo. Aabid Qureshi)	**(Mohammad Aabid Qureshi).**

(G-2754)

नाम परिवर्तन

मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम सोरम बाई यादव दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम पूजा यादव है. मेरे वोटर आई.डी. कार्ड में मेरा नाम पूजा यादव दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे पूजा यादव के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सोरम बाई यादव)	(पूजा यादव)
	निवासी– ग्राम मातमोर, तहसील बागली,
	जिला देवास (म.प्र.).

(G-2755)

नाम परिवर्तन

मैं, खालिद खान आत्मज श्री मुनीर उददीन, निवासी– 179, टीलाजमालपुरा, इंदिरा नगर, भोपाल, हुजूर (म.प्र.). मेरे पैन कार्ड, ड्राइविंग लायसेंस में मेरा नाम त्रुटिवश खालिद खान पिता मुन्ने खान दर्ज हो गया है, जबकि मेरा सही नाम खालिद खान आत्मज श्री मुनीर उद्दीन है, जो कि मेरे आधार कार्ड एवं अन्य शासकीय दस्तावेजों में अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम खालिद खान पिता मुनीर उददीन के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(खालिद खान)
आत्मज– श्री मुनीर उददीन.

(G-2756)

नाम परिवर्तन

मैं, विन्द्रावन अहिरवार (VINDRAVAN AHIRWAR) पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद अहिरवार. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम वृन्दावन अहिरवार (VRINDAVAN AHIRWAR) दर्ज हो गया था. जबकि मेरा सही नाम विन्द्रावन अहिरवार (VINDRAVAN AHIRWAR) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम विन्द्रावन अहिरवार (VINDRAVAN AHIRWAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(विन्द्रावन अहिरवार)
(VINDRAVAN AHIRWAR)
पुत्र– श्री अयोध्या प्रसाद अहिरवार
निवासी– म.नं.– 51, शिव नगर, फेस–2, वार्ड नं.–73,
विदिशा रोड, हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-2757)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री गुंजन पटेल पिता कुंज बिहारी पटेल (GUNJAN PATEL D/o. KUNJ BIHARI PATEL), निवासी– 607, मागंज वार्ड नं.–04, मुस्की बाबा के पास, दमोह खास, दमोह (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम गेंदा बाई पटेल पिता कुंजबिहारी पटेल (GENDA BAI PATEL D/o. KUNJBIHARI PATEL) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम उसके जन्म प्रमाण– पत्र व शैक्षाणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम गुंजन पटेल पिता कुंज बिहारी पटेल (GUNJAN PATEL D/o. KUNJ BIHARI PATEL) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(कुंज बिहारी पटेल)
(KUNJ BIHARI PATEL).

(G-2758)

नाम परिवर्तन

मैं, निरसिया बाई पत्नी परदेशी प्रजापति, निवासी– ग्राम धनवाही, पोस्ट कछरवार, थाना उमरिया, जिला उमरिया (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बुधिया पत्नी परेदशी प्रजापति दर्ज हो गया है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में मेरा नाम निरसिया बाई पत्नी परदेशी प्रजापति दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरांत भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय/दस्तावेजों में मेरा सही नाम निरसिया बाई पत्नी परदेशी प्रजापति के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(बुधिया)

नया नाम
(निरसिया बाई)
पत्नी– परदेशी प्रजापति.

(G-2759)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शिशुपाल बघेल पुत्र सुरेश बघेल (Shishupal Baghel S/o. Suresh Baghel), निवासी– इमीलिया, सिमिरिया टांका, ग्वालियर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शिशपाल पुत्र सुरेश (Shishapal S/o. Suresh) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक अंकसूची के दस्तावेजों में भी दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावजों में मेरा सही नाम शिशुपाल बघेल पुत्र सुरेश बघेल (Shishupal Baghel S/o. Suresh Baghel) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(शिशपाल)
(Shishapal)
पुत्र– सुरेश
S/o. Suresh

नया नाम
(शिशुपाल बघेल)
(Shishupal Baghel)
पुत्र– सुरेश बघेल
S/o. Suresh Baghel.

(G-2760)

नाम परिवर्तन

मैं, अजित राय पिता श्री शशि भूषण राय, निवासी– 39/क, ग्राम पीपरवानी, तह. तेंदुखेडा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरा सही नाम अजित राय (AJIT RAI) है. मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम इंग्लिश में AJIT ROY दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अजित राय (AJIT RAI) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(अजित राय)
(AJIT ROY)

नया नाम
(अजित राय)
(AJIT RAI).

(G-2761)

नाम परिवर्तन

मैं, तेज सिंह मेवाडा, मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश पुत्री का नाम नेहा मेवाडा (NEHA MEWADA) नाम अंकित हो गया है एवं मेरी पुत्री के अन्य दस्तावेजों अंकसूची, जन्म प्रमाण–पत्र में आरती मेवाडा (AARTI MEWADA) पुत्री तेज सिंह मेवाडा नाम अंकित है, जो कि सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का नाम आरती मेवाडा (AARTI MEWADA) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(तेज सिंह मेवाडा)
पुत्र– भादर सिंह मेवाडा
निवासी– ग्राम बसंतपुर, नई कालोनी, टपका,
तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.).

(G-2762)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नीलिमा स्वामी पत्नी संतोष कुमार स्वामी (Neelima Swami W/o. Santosh Kumar Swami), निवासी– सुआतला, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम निमिला स्वामी पत्नी संतोष स्वामी (Nimila Swami W/o. Santosh Swami) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शैक्षणिक अंकसूची व परिवार समग्र आई.डी. के दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम नीलिमा स्वामी पत्नी संतोष कुमार स्वामी (Neelima Swami W/o. Santosh Kumar Swami) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(निमिला स्वामी)	(नीलिमा स्वामी)
(Nimila Swami)	**(Neelima Swami)**
	पत्नी– संतोष कुमार स्वामी
	W/o. Santosh Kumar Swami.

(G-2763)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मीना मौर्य पत्नी मनोज मौर्य (MEENA MOURYA W/o. MANOJ MOURYA), निवासी– वार्ड 16, हरिजन मौहल्ला, पांजरा कलां, पोस्ट पांजरा कलां, होशंगाबाद (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मीशा मोरे पत्नी मनोज मौर्य (MEESHA MORE W/o. MANOJ MOURYA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम बच्चे का जन्म प्रमाण–पत्र, बच्चे की अंकसूची में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम मीना मौर्य पत्नी मनोज मौर्य (MEENA MOURYA W/o. MANOJ MOURYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मीशा मोरे)	(मीना मौर्य)
(MEESHA MORE)	**(MEENA MOURYA)**
	पत्नी– मनोज मौर्य
	W/o. MANOJ MOURYA.

(G-2764)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम कृष्णपाल सिंह यादव पुत्र विक्रम सिंह यादव (Krishnpal Singh Yadav S/o. Vikram Singh Yadav), निवासी– बाबई, बाबई, पहाड़ी बुजुर्ग, पहदिबुजुर्ग, टीकमगढ़, (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम कृष्णा यादव पुत्र विक्रम सिंह यादव (Krashna Yadav S/o. Vikram Singh Yadav) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरी शैक्षणिक अंकसूची के दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम कृष्णपाल सिंह यादव पुत्र विक्रम सिंह यादव (Krishnpal Singh Yadav S/o. Vikram Singh Yadav) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(कृष्णा यादव)	(कृष्णपाल सिंह यादव)
(Krashna Yadav)	**(Krishnpal Singh Yadav)**
	पुत्र– विक्रम सिंह यादव
	S/o. Vikram Singh Yadav.

(G-2765)

नाम परिवर्तन

मैं, जालम सिंह आत्मज श्री नबल सिंह, निवासी– एच.नं. 17, ग्राम खजूरी खुर्द, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम अंजनी ठाकुर (ANJANI THAKUR) है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अंजली ठाकुर (ANJALI THAKUR) अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम अंजनी ठाकुर (ANJANI THAKUR) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(G-2766) **(जालम सिंह).**

नाम परिवर्तन

मेरा नाम उदय वीर सिंह पिता बदन सिंह, निवासी– 37/1, ग्राम मेहरा अमायन, मेहगांव भिंड (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश सिकरवार छोटे सिंह बदन सिंह अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम उदय वीर सिंह है, जो मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम उदय वीर सिंह के नाम से जाना– पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(सिकरवार छोटे सिंह बदन सिंह)
(Sikarvar Chhotesinh Badansinh)

नया नाम

(उदय वीर सिंह)
(Uday Veer Singh).

(G-2767)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम रेवा भूरिया पुत्री जयंती लाल भूरिया (REVA BHURIYA D/o. JAYANTI LAL BHURIYA) है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश रमिला भूरिया पुत्री रमिला भूरिया (RAMILA D/o. RAMILA BHURIYA) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम रेवा भूरिया पुत्री जयंती लाल भूरिया (REVA BHURIYA D/o. JAYANTI LAL BHURIYA) उसके जन्म प्रमाण– पत्र में दर्ज है. रेवा भूरिया पुत्री जयंती लाल भूरिया (REVA BHURIYA D/o. JAYANTI LAL BHURIYA) व रमिला भूरिया पुत्री रमिला भूरिया (RAMILA D/o. RAMILA BHURIYA) यह दोनों नाम मेरी पुत्री के हैं. अतः प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को रेवा भूरिया पुत्री जयंती लाल भूरिया (REVA BHURIYA D/o. JAYANTI LAL BHURIYA) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जाना– पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जयंती लाल भूरिया)
पिता– श्री मानसिंह भूरिया
निवासी– म.नं.– 37, मोहल्ला मातापाडा,
ग्राम– मातापाडा, सगाडिया झाबुआ (म.प्र.).

(G-2768)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम नीकेत कुशवाह पिता प्रकाश कुशवाह (NEEKET KUSHWAH S/o. PRAKASH KUSHWAH), निवासी– ग्राम व पोस्ट पुट्टी, डबरा, ग्वालियर (म.प्र.) मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम निकेश कुशवाह पिता प्रकाश कुशवाह (NIKESH KUSHWAH S/o. PRAKASH KUSHWAH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र का सही नाम नीकेत कुशवाह पिता प्रकाश कुशवाह (NEEKET KUSHWAH S/o. PRAKASH KUSHWAH) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(प्रकाश कुशवाह).

(G-2769)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम आकाश यादव पिता अर्जुन सिंह यादव (AKASH YADAV S/o. ARJUN SINGH YADAV) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सूर्यान्श माता श्री सुषमा यादव (SURYANSH C/o. SUSHMA YADAV) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दसतावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम आकाश यादव पिता अर्जुन सिंह यादव (AKASH YADAV S/o. ARJUN SINGH YADAV) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अर्जुन सिंह यादव)
(ARJUN SINGH YADAV)
निवासी– ग्राम रेंगुबान, सागर (म.प्र.)

(G-2770)

नाम परिवर्तन

मैं, अनिल कुमार मोहबे पिता मधु मोहबे, निवासी– दुर्गानगर, हिडली, जिला बैतूल (म.प्र.). मेरे पुत्र का नाम त्रुटिवश उसके आधार कार्ड में योगेश्वर मोहबे (Yogeshwar Mohabe) पिता अनिल मोहबे (Anil Mohabe) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम यश मोहबे (YASH MOHABEY) पिता अनिल कुमार मोहबे (ANIL KUMAR MOHABEY) है, जो कि मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों व जन्म प्रमाण--पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को यश मोहबे (YASH MOHABEY) पिता अनिल कुमार मोहबे (ANIL KUMAR MOHABEY) के नाम से शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(अनिल कुमार मोहबे)
(ANIL KUMAR MOHABEY).

(G-2771)

नाम परिवर्तन

मैं, मरियम अली पिता मुजफ्फर अली, निवासी– 67, इस्लामी गेट, कच्ची मस्जिद के पास शाहजहानाबाद, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरा नाम आधार कार्ड में त्रुटिवश जज़ा मरियम अली (Jaza Mariyam Ali) D/o. मुजफ्फर अली (Muzaffar Ali) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मरियम अली (MARIYAM ALI) पिता मुजफ्फर अली (MUZAFFAR ALI) है, जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. मरियम अली (MARIYAM ALI) व जज़ा मरियम अली (Jaza Mariyam Ali) दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मरियम अली (MARIYAM ALI) पिता मुजफ्फर अली (MUZAFFAR ALI) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(जज़ा मरियम अली)
(Jaza Mariyam Ali)

नया नाम

(मरियम अली)
(MARIYAM ALI)
पिता– मुजफ्फर अली
D/o. Muzaffar Ali

(G-2772)

नाम परिवर्तन

मैं, जसवंत सिंह पंवार पिता लक्ष्मीनारायण पंवार, निवासी– ग्राम मोयाखेडी, पो. जामोनिया, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अंजना (Anjana) पिता जसवंत सिंह (Jaswant Singh) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम अंजली पंवार (ANJALI PANWAR) पिता जसवंत सिंह (JASVANT SINGH) है, जो कि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अंजली पंवार (ANJALI PANWAR) पिता जसवंत सिंह (JASVANT SINGH) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अंजना)	**(अंजली पंवार)**
(Anjana)	(ANJALI PANWAR)
पिता– जसवंत सिंह	पिता– जसवंत सिंह
(Jaswant Singh)	(JASVANT SINGH).

(G-2773)

नाम परिवर्तन

मैं, रमेश पिता किशन लाल, निवासी– ऑखखेडी, पो. पीपल्या कलां, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अंजू (Anju) पिता रमेश (Ramesh) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम चिंता भिलाला (CHINTA BHILALA) पिता रमेश (Ramesh) है, जो कि उसके शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को चिंता भिलाला (CHINTA BHILALA) पिता रमेश (Ramesh) के नाम से सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रमेश)

पिता– किशन लाल

(G-2774)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीराम यादव पिता मौजी यादव, निवासी– हलावनी, तहसील घुवारा, जिला छतरपुर (म.प्र.) मेरे पुत्र का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश धर्मेन्द्र प्रताप सिंह यादव आत्मज श्री राम यादव दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम युवराज यादव (YUVRAJ YADAV) पिता श्रीराम यादव (SHRIRAM YADAV) है, जो कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को युवराज यादव (YUVRAJ YADAV) पिता श्रीराम यादव (SHRIRAM YADAV) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(श्रीराम यादव)

पिता– मौजी यादव.

(G-2775)

नाम परिवर्तन

मैं, टिल्लू कुशवाहा पिता छुट्टू, निवासी– ग्राम पोस्ट उमरधा, तहसील बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश टीकाराम कुशवाहा दर्ज है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम टिल्लू कुशवाहा (TILLU KUSHWAHA) है, जो कि मेरे वोटर आई.डी. कार्ड व स्थानीय निवासी प्रमाण– पत्र में दर्ज है. टिल्लू कुशवाहा (TILLU KUSHWAHA) व टीकाराम कुशवाहा दोनों नाम मेरे स्वयं के ही हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे टिल्लू कुशवाहा (TILLU KUSHWAHA) के नाम से शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(टीकाराम कुशवाहा)	(टिल्लू कुशवाहा) **(TILLU KUSHWAHA).**

(G-2776)

नाम परिवर्तन

मैं, उमेश मालवीय पिता श्री रमेश मालवीय, निवासी– करेशर बस्ती, सेवनिया ओंकारा, हुजुर, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम राज मालवीय (RAJ MALVIYA) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम राजपाल (RAJPAL) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम राज मालवीय (RAJ MALVIYA) के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(राजपाल) **(RAJPAL)**	(राज मालवीय) **(RAJ MALVIYA).**

(G-2777)

नाम परिवर्तन

मैं, सईद खान पिता अब्दुल खान, निवासी– वार्ड नं. 04, आजाद मार्ग, गुर्जर बोर्डिंग के पास खातेगांव, तहसील खातेगांव जिला देवास (म.प्र.). मेरा सही नाम सईद खान (SAID KHAN) पिता अब्दुल खान है, आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम साहिद खान पिता अब्दुल खान अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरा नया नाम सईद खान (SAID KHAN) पिता अब्दुल खान के नाम से सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(साहिद खान) **(SAHID KHAN)**	(सईद खान) (SAID KHAN).

(G-2778)

नाम परिवर्तन

मैं, गुलता बाई पति जागेश्वर, निवासी– ग्राम भूक्या, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम पियुष उइके (PIYUSH UIKEY) आत्मज जागेश्वर है, आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम PRINSH UIKEY माता गुलता बाई अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नया नाम पियुष उइके (PIYUSH UIKEY) आत्मज जागेश्वर के नाम से सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा व दर्ज किया जावे.

आवेदक

(गुलताबाई)

पति– जागेश्वर.

(G-2779)

नाम परिवर्तन

मैं, कैलाश सैनी आत्मज बद्रीप्रसाद सैनी, निवासी– वार्ड नं. 04, अजनास रोड, खातेगांव, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम मुकेश माली (MUKESH MALI) आत्मज कैलाश माली है एवं उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम लोकेश सैनी आत्मज कैलाश सैनी अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नया नाम मुकेश माली (MUKESH MALI) आत्मज कैलाश माली के नाम से सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(लोकेश सैनी)	**(मुकेश माली)**
(LOKESH SAINI)	(MUKESH MALI)
	आत्मज– कैलाश माली

(G-2780)

नाम परिवर्तन

मैं, बलराम आत्मज परसराम, निवासी– ग्राम अजनास, तहसील खातेगांव जिला देवास (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम योगेश गुर्जर (YOGESH GURJAR) आत्मज बलराम है एवं उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम योगेन्द्र यादव आत्मज बलराम यादव अंकित हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त उसका नया नाम योगेश गुर्जर (YOGESH GURJAR) आत्मज बलराम के नाम से जाना–पहचाना एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बलराम)

आत्मज– परसराम.

(G-2781)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम अज्ञाशु जायसवाल पिता उपेन्द्र जायसवाल (AGYASHU JAISWAL D/o. UPENDRA JAISWAL), निवासी– 4/418 इंद्रा कॉलोनी, आजाद वार्ड, गाडरवारा, नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड मे मेरा नाम त्रुटिवश अग्यासु जायसवाल पिता उपेन्द्र जायसवाल (EGYASU JAYSWAL D/o. UPENDRA JAYSWAL) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरी कक्षा 10 वीं की अंकसूची में मेरा सही नाम अज्ञाशु जायसवाल पिता उपेन्द्र जायसवाल (AGYASHU JAISWAL D/o. UPENDRA JAISWAL) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अज्ञाशु जायसवाल पिता उपेन्द्र जायसवाल (AGYASHU JAISWAL D/o. UPENDRA JAISWAL) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अग्यासु जायसवाल)	**(अज्ञाशु जायसवाल)**
(EGYASU JAYSWAL)	**(AGYASHU JAISWAL)**
पिता उपेन्द्र जायसवाल	पिता– उपेन्द्र जायसवाल
D/o. UPENDRA JAYSWAL	D/o. UPENDRA JAISWAL

(G-2782)

नाम परिवर्तन

मैं, दशरथ किरार पिता कालूराम किरार, निवासी– म.नं. 108, ग्राम ग्वारी, तहसील तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम अस्मित किरार पिता दशरथ किरार (ASMIT KIRAR S/o. DASHRATH KIRAR) है. मेरे पुत्र के आधार कार्ड में उसका नाम त्रुटिवश असिमत पिता दसरथ (ASIMAT S/o. DASRATH) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में मेरे पुत्र का सही नाम अस्मित किरार पिता दशरथ किरार (ASMIT KIRAR S/o. DASHRATH KIRAR) दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को अस्मित किरार पिता दशरथ किरार (ASMIT KIRAR S/o. DASHRATH KIRAR) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(असिमत)	**(अस्मित किरार)**
(ASIMAT)	**(ASMIT KIRAR)**
पिता– दसरथ	पिता– दशरथ किरार
S/o. DASRATH	S/o. DASHRATH KIRAR

(G-2783)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रयांश रिछारिया आ. श्री राजेश कुमार रिछारिया, निवासी– ग्राम खिरिया, सुकालराय, पो. ऊमरखोह, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे कक्षा 10वीं की अंकसूची में एवं आधार कार्ड में मेरे पिता का नाम राजेश रिछारिया (RAJESH RICHHARIYA) है. जबकि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र एवं मतदाता परिचय–पत्र मैं मेरे पिता का नाम राजेश कुमार रिछारिया (RAJESH KUMAR RICHHARIYA) है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे शासकीय, अशासकीय समस्त दस्तावेजों में मेरे पिता का नाम राजेश कुमार रिछारिया (RAJESH KUMAR RICHHARIYA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(प्रयांश रिछारिया)	**(प्रयांश रिछारिया)**
पुत्र– राजेश रिछारिया	पुत्र– राजेश कुमार रिछारिया
(RAJESH RICHHARIYA)	**(RAJESH KUMAR RICHHARIYA)**

(G-2784)

नाम परिवर्तन

मैं, अंजली पत्नी राधेश्याम सिंह, मेरा पुराना नाम अंजली परमार पुत्री अतर सिंह था, जिसे अब मैं, अपने पूर्व कुल नाम अंजली परमार को छोड़कर नया कुल नाम अंजली रख रही हूं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अंजली पत्नी राधेश्याम सिंह, पुत्री अतर सिंह के नाम से शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(अंजली पत्नी राधेश्याम सिंह)
निवासी– आंनद क्लीनिक के सामने, नैनागढ़ रोड़,
तहसील व जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-2785)

नाम परिवर्तन

मैं, दशरथ श्रीवास पुत्र श्री गनेश श्रीवास, मेरा पुराना नाम जसरथ पुत्र श्री गनेश श्रीवास था. अब मैं, अपना पूर्व कुल नाम जसरथ श्रीवास को छोड़कर नया कुल नाम दशरथ श्रीवास रख रहा हूं. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे दशरथ श्रीवास के नाम से ही जाना–पहचाना एवं मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(दशरथ श्रीवास)
पुत्र– श्री गनेश श्रीवास
निवासी– ग्राम निरारा, तहसील कैलारस,
जिला मुरैना (म.प्र.).

(G-2786)

नाम परिवर्तन

मैं, राघवेन्द्र प्रसाद मिश्रा पिता तेजबली प्रसाद मिश्रा, निवासी– वार्ड क्र. 01, ग्राम/पोस्ट जोन्हा, तहसील जवा, जिला रीवा (म.प्र.). मेरी पुत्री के डाक घर बचत बैंक खाता में उसका नाम परिणिता अंकित है, जो कि गलत है. जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड/जन्म प्रमाण–पत्र तथा सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम अनामिका मिश्रा अंकित है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री को अनामिका मिश्रा के नाम से जाना–पहचाना एवं समस्त शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

आवेदक

(राघवेन्द्र प्रसाद मिश्रा)
पिता– तेजबली प्रसाद मिश्रा.

(G-2787)

नाम परिवर्तन

मैं, मधुसुदन नागदा पिता पंकज नागदा, निवासी– शीतलामाता चौक, ग्राम–सकरानी रैयत, तह. व जिला नीमच (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों व अन्य शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम मधुसुदन नागदा दर्ज है, किन्तु मुझे ग्राम व समाज में माधव नागदा के नाम से ही जाना–पहचाना जाता है. मधुसुदन नागदा एवं माधव नागदा दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे माधव नागदा (MADHAV NAGDA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(मधुसुदन नागदा)

नया नाम

(माधव नागदा)
(MADHAV NAGDA).

(G-2788)

नाम परिवर्तन

मैं, अन्ना बंजारा पिता बाबुलाल जी दायमा, निवासी– ग्राम जोडमी, तहसील रामपुरा, जिला नीमच (म.प्र.). मेरे आधार कॉर्ड में मेरा नाम अन्ना बंजारा दर्ज है, जो कि मेरा घरेलू बोलता नाम है. मेरे शैक्षणिक व शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम निरमा दायमा दर्ज है. अन्ना बंजारा एवं निरमा दायमा दोनों मेरे ही नाम हैं. किन्तु वर्तमान में मैं, निरमा दायमा के नाम से ही जानी– पहचानी जाती हूँ. अतः प्रकाशन उपरन्त भविष्य में मुझे निरमा दायमा (NIRMA DAYMA) के नाम से जाना–पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अन्ना बंजारा)

नया नाम

(निरमा दायमा).

(G-2789)

नाम परिवर्तन

मैं, शमीम सुल्ताना पुत्री आले हसन, निवासी–म.नं. 14, टोलवाली मस्जिद, मेंहदी वाली गली, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम शमीम सुल्ताना सिद्दिकी (Shamim Sultana Siddiqui) पुत्री आले हसन (Allay Hasan) अंकित हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरा सही नाम शमीम सुल्ताना (Shamim Sultana) पुत्री आले हसन (Aale Hasan) है, जो कि मेरे अन्य शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम शमीम सुल्ताना (Shamim Sultana) पुत्री आले हसन (Aale Hasan) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शमीम सुल्ताना सिद्दिकी)	(शमीम सुल्ताना)
(Shamim Sultana Siddiqui)	**(Shamim Sultana)**
पुत्री– आले हसन	पुत्री– आले हसन
(D/o. Allay Hasan)	(D/o. Aale Hasan).

(G-2790)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम देवेश कुशवाह पिता परसराम कुशवाह (DEVESH KUSHWAH S/o. PARASRAM KUSHWAH), निवासी– हरिज्ञान का पुरा, सेंधरी, नंद्रनोली, नन्द गंगोली, मुरैना (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम डी. के. कुशवाह पिता परसराम कुशवाह (DK KUSHWAH S/o. PARASRAM KUSHWAH) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षाणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का नाम देवेश कुशवाह पिता परसराम कुशवाह (DEVESH KUSHWAH S/o. PARASRAM KUSHWAH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(परसराम कुशवाह)

पुत्र– श्री घनश्याम.

(G-2791)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्री का नाम कुमारी लाली पुत्री महेश सिंह (kumari lali D/o. Mahesh singh), निवासी– परसौना, पोस्ट कचौगरा, भिंड (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम कविता पुत्री महेश सिंह (kavita D/o. Mahesh Singh) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्री का सही नाम उसके शैक्षणिक दस्तावेजों जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्री का सही नाम कुमारी लाली पुत्री महेश सिंह (kumari lali D/o. Mahesh singhi) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(महेश सिंह).

(G-2792)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मनोज तिवारी पुत्र श्री बालकराम तिवारी (Manoj Tiwari S/o. Balakram Tiwari), निवासी– क्वाटर एन–33/34, लाईन 1, बिरला नगर, हुजूर, ग्वालियर सिटी, ग्वालियर (म.प्र.). मेरी पुत्री का सही नाम वैष्णवी तिवारी पुत्री श्री मनोज तिवारी (Vaishnavi Tiwari D/o. Manoj Tiwari) है. मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम सिद्धि तिवारी पुत्री श्री मनोज तिवारी (Siddhi Tiwari D/o. Manoj Tiwari) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम जन्म प्रमाण–पत्र, समग्र आई.डी. दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम वैष्णवी तिवारी पुत्री श्री मनोज तिवारी (Vaishnavi Tiwari D/o. Manoj Tiwari) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मनोज तिवारी)

पुत्र– श्री बालकराम तिवारी.

(G-2793)

नाम परिवर्तन

मैं, विमलेश कुमार गुर्जर आत्मज श्री मनोहरसिंह, निवासी– ग्राम बमनवाडा, तह. बाड़ी, धान्धला, संखेदा, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे पुत्र प्रेम पटेल का नाम उसके आधार कार्ड में त्रुटिवश प्रेमनारायण गुर्जर अंकित हो गया है, जिसे परिवर्तित कर उसका सही नाम प्रेम पटेल अंकित कराया जाना है. मेरे पुत्र के अन्य दस्तावेजों में उसका सही नाम प्रेम पटेल ही अंकित है एवं इसी नाम से संबोधित किया जाता है. अतः प्रकाशन उपरान्त से मेरे पुत्र को उसके सही नाम प्रेम पटेल (PREM PATEL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विमलेश कुमार गुर्जर)

आत्मज श्री मनोहरसिंह.

(G-2794)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम बृजेन्द्र तिवारी पिता श्री महेन्द्र तिवारी, निवासी– फार्च्यून सौम्या एटलांटिक कटारा, मिसरोद भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अक्षवीर तिवारी पिता श्री बृजेन्द्र तिवारी (AKSHVEER TIWARI S/o. BRAJENDRA TIWARI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम वीर तिवारी पिता श्री बृजेन्द्र तिवारी (VEER TIWARI S/o. BRAJENDRA TIWARI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(बृजेन्द्र तिवारी)

पिता– श्री महेन्द्र तिवारी.

(G-2795)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मंशाराम चौधरी पिता श्री दरैया चौधरी, निवासी– 89, बृज कॉलोनी, करोंद, हुजूर म.ल. नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मंशाराम टेकवार चौधरी पिता श्री दरैया (MANSHARAM TAIKWAR CHOUDHARY S/o. DARAIYA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम मंशाराम चौधरी पिता श्री दरैया चौधरी (MANSHARAM CHOUDHARY S/o. DARAIYA CHOUDHARY) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मंशाराम टेकवार चौधरी)	**(मंशाराम चौधरी)**
(MANSHARAM TAIKWAR CHOUDHARY)	**(MANSHARAM CHOUDHARY)**
पिता– श्री दरैया	पिता– श्री दरैया चौधरी
(S/o. DARAIYA)	(S/o. DARAIYA CHOUDHARY).

(G-2796)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम आरिफ पुत्र श्री रफीक, निवासी– 13, गांधी नगर, सेक्टर नं. 11, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम आसिफ आ. श्री आरिफ (ASIF S/o. ARIF) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों, समग्र आई.डी. में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम अरहान खान पिता श्री आरिफ खां (ARHAN KHAN S/o. ARIF KHAN) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आसिफ आ. श्री आरिफ)	**(अरहान खान)**
(ASIF S/o. ARIF)	**(ARHAN KHAN)**
	पिता– श्री आरिफ खां
	(S/o. ARIF KHAN).

(G-2797)

नाम परिवर्तन

मैं, भूपेन्द्र सिंह दांगी पुत्र श्री अमानसिंह दांगी, निवासी– ग्राम बोथी, पोस्ट रोशन पिपरिया, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.). मेरा पूर्व में नाम सरदार सिंह दांगी पुत्र श्री अमान सिंह दांगी था, जिसे बदलकर मैंने अपना नाम भूपेन्द्र सिंह दांगी (Bhupendra Singh Dangi) पुत्र श्री अमानसिंह दांगी (Aman Singh Dangi) कर लिया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम भूपेन्द्र सिंह दांगी (Bhupendra Singh Dangi) पुत्र श्री अमानसिंह दांगी (Aman Singh Dangi) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सरदार सिंह दांगी)	**(भूपेन्द्र सिंह दांगी)**
	(Bhupendra Singh Dangi)
	पुत्र– श्री अमानसिंह दांगी
	(S/o. Aman Singh Dangi).

(G-2798)

नाम परिवर्तन

मैं, बंश कुमार सेन पिता शोभनाथ, निवासी– ग्राम राजगढ़, पोस्ट ऑफिस हिनौति, जिला सीधी (म.प्र.). मेरा पुराना नाम बबलू कुमार सेन पिता शोभनाथ सेन था, जबकि मेरा सही नाम बंश कुमार सेन पिता शोभनाथ सेन है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे बंश कुमार के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(बबलू कुमार सेन)

नया नाम

(बंश कुमार सेन).

(G-2799)

नाम परिवर्तन

मैं, रूपेश जैन पुत्र श्री गुलाब चंद जैन, निवासी– प्लाट नं. 62, कान्हा निरूपम टावर, इंडियन कॉफी हाउस के पास, मालवीय नगर, भोपाल, टी.टी. नगर, भोपाल (म.प्र.). मेरी पुत्री के दस्तावेजों में उसका नाम त्रुटिवश तनिशा जैन अंकित हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरी पुत्री का सही नाम अरिशा जैन है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री का सही नाम अरिशा जैन पुत्री श्री रूपेश जैन के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(रूपेश जैन)
पुत्र– श्री गुलाब चंद जैन.

(G-2800)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम हासिम खां (HASIM KHA) है, जो कि मेरे पैन कार्ड में दर्ज है, जो कि मेरा सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही नाम हासिम खां (HASIM KHA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(हासिम खां)
पुत्र– श्री शुभान खान
निवासी– 46, छोला रोड, रिसालदार कॉलोनी,
तहसील हुजूर, भोपाल (म.प्र.).

(G-2801)

नाम परिवर्तन

मैं, मायावती परते मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अंतकला पंदरे (ANTKALA PANDRE) अंकित हो गया है. मेरे परिचय–पत्र में मायावती परते (MAYAVATI PARTE) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा सही नाम मायावती परते (MAYAVATI PARTE) के नाम से सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में लिखा– पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(अंतकला पंदरे)
(ANTKALA PANDRE)

नया नाम

(मायावती परते)
(MAYAVATI PARTE)
पति– राहुल परते
निवासी– वार्ड नं–01, नागो टोला, अर्जुननाला, कटंगी,
जिला बालाघाट (म.प्र.).

(G-2802)

नाम परिवर्तन

मैं, मुकेश वर्मा मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरे पुत्र का नाम आदि वर्मा (AADI VERMA) अंकित हो गया है. मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक दस्तावेजों में आदित्य वर्मा (AADITYA VERMA) सही नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम आदित्य वर्मा (AADITYA VERMA) के नाम से सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में लिखा– पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदक

(मुकेश वर्मा)
निवासी– ग्राम रंगई, पोस्ट विदिशा,
जिला विदिशा (म.प्र.).

(G-2803)

नाम परिवर्तन

मैं, नियति पटेल पिता सुनील पटेल, निवासी– ग्राम चंदोनीगंज, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश आशी गौर (ASHEE GOUR) दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे वोटर कार्ड पर नियति पटेल (NIYATI PATEL) सही नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे सभी शासकीय / अशासकीय / व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजों में मेरे सही नाम नियति पटेल (NIYATI PATEL) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(आशी गौर)	**(नियति पटेल)**
(ASHEE GOUR)	**(NIYATI PATEL).**

(G-2804)

नाम परिवर्तन

मैं, श्वेता जैन माता रमिला जैन, निवासी– 150, छत्रपति नगर, बिजासन रोड, इंदौर (म.प्र.). मेरी माता रमिला जैन है, जिस हेतु मैं, उनका नाम अपने नाम के पीछे जुडवाना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम से श्वेता जैन माता रमिला जैन के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(श्वेता जैन)
माता– रमिला जैन.

(G-2805)

नाम परिवर्तन

मैं, निधि विश्वकर्मा पति अजेश विश्वकर्मा, निवासी– म.नं. 79, ग्राम घाना कला, लमकनाँ, जिला जबलपुर (म.प्र.). मेरे पूर्व के आधार कार्ड पर मेरे बैंक खाते में मेरा नाम निधि रामकुचे दर्ज है, जो कि गलत है, जबकि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों तथा संशोधित आधार कार्ड में मेरा नाम निधि विश्वकर्मा (NIDHI VISHWAKARMA) दर्ज है, जो कि सही है. मैं, अपने बैंक खाते में अपना नाम निधि विश्वकर्मा (NIDHI VISHWAKARMA) कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे निधि विश्वकर्मा (NIDHI VISHWAKARMA) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(निधि रामकुचे)	**(निधि विश्वकर्मा)**
(NIDHI RAMKUCHE)	**(NIDHI VISHWAKARMA)**
	पति– अजेश विश्वकर्मा.

(G-2806)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम नाजनी बी पुत्री मेहफूज अली, निवासी– म.नं.12, इस्लामीगेट, शाहजानाबाद, भोपाल (म.प्र.). जो सही है मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम मीनाक्षी धाकड़ पत्नि धन्ना लाल धाकड़ अंकित कर दिया गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम नाज़नी बी पुत्री महफूज़ अली है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नाज़नी बी पुत्री महफूज़ अली के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(नाज़नी बी पुत्री महफूज़ अली)
(NAZNI Bee D/o. MEHFUZ ALI).

(G-2807)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम सुनीता चौहान पत्नी स्व गजराज सिंह चौहान (SUNITA CHOUHAN W/o. LATE GAJRAJ SINGH CHOUHAN), निवासी– म. नं. 216, सुदामा नगर भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम बेबी बाई पिता खण्डू (BAIBY BAI D/o. KHANDU) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम मेरे निर्वाचन आयोग कार्ड में भी दर्ज है, जिसे मैं मेरे आधार कार्ड / शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज कराना चाहती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम सुनीता चौहान पत्नी स्व. गजराज सिंह चौहान (SUNITA CHOUHAN W/o. LATE GAJRAJ SINGH CHOUHAN) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(बेबी बाई)	(सुनीता चौहान)
(BAIBY BAI)	**(SUNITA CHOUHAN)**
पिता– खण्डू	पत्नी– स्व गजराज सिंह चौहान
D/o. KHANDU	(W/o. LATE GAJRAJ SINGH CHOUHAN)

(G-2808)

नाम परिवर्तन

मैं, सोनू दायमा पिता श्री माखन लाल दायमा, निवासी–ग्राम ग्वाडिया, तहसील बुधनी, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम शिवम कुमार पिता श्री माखन लाल दायमा (SHIVAM KUMAR S/o. MAKHAN LAL DAYMA) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम वोटर आई.डी. एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम सोनू दायमा पिता श्री माखन लाल दायमा (SONU DAYMA S/o. MAKHAN LAL DAYMA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(शिवम कुमार)	(सोनू दायमा)
(SHIVAM KUMAR)	**(SONU DAYMA)**
	पिता– श्री माखन लाल दायमा
	S/o. MAKHAN LAL DAYMA.

(G-2809)

नाम परिवर्तन

मैं, लीलाबाई साहू पति श्री जमना प्रसाद साहू, निवासी– 1114, इन्दिरा गांधी वार्ड, वार्ड क्र. 4, खंडेरा बाबा मोहल्ला, मण्डीदीप, गौहरगंज, रायसेन (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम लीलावती पति श्री जमना प्रसाद (LILAVATI W/o. JAMNA PRASAD) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम वोटर आई.डी. कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम लीलाबाई साहू पति श्री जमना प्रसाद साहू (LEELABAI SAHU W/o. JAMANA PRASAD SAHU) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(लीलावती)	**(लीलाबाई साहू)**
(LILAVATI)	**(LEELABAI SAHU)**
पति– श्री जमना प्रसाद	पति– श्री जमना प्रसाद साहू,
W/o. JAMNA PRASAD	W/o. JAMANA PRASAD SAHU.

(G-2810)

नाम परिवर्तन

मैं, तहजीब जमा पुत्री श्री ताज जमा, निवासी– 182, 03, नन्ही बी की मस्जिद के सामने काजी कैम्प वैरसिया रोड, भोपाल जी. पी. भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अलीशा आत्मज अकबर अली (ALISHA D/o. AKABAR ALI) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरा सही नाम शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरा नाम तहजीब जमा पुत्री श्री ताज जमा (TEHZEEB JAMA D/o. TAJ ZAMA) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अलीशा)	**(तहजीब जमा)**
(ALISHA)	**(TEHZEEB JAMA)**
आत्मज– अकबर अली	पुत्री– श्री ताज जमा
D/o. AKABAR ALI	D/o. TAJ ZAMA

(G-2811)

नाम परिवर्तन

मैं, श्यामूबाई पति देवचंद, निवासी– सदर बाजार के पास, ग्राम खेड़ी जिला रतलाम (म.प्र.). प्रार्थिया का नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में समदाबाई बैवा देवचन्द जाति भील अंकित है. प्रार्थिया को उक्त दोनों नामों से जाना– पहचाना जाता है एवं दोनों नाम एक ही महिला के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे श्यामूबाई पति देवचंद के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(समदाबाई बैवा देवचन्द)	**(श्यामूबाई पति देवचंद).**

(G-2812)

नाम परिवर्तन

मुझ प्रार्थीया वैजन्तीमाला पिता हरीश नकवाल, निवासी–10/44, वार्ड नम्बर 2, मीराकुटी गांधी नगर, रतलाम (म.प्र.). प्रार्थीया को राजेश नकवाल पिता बाबुलाल नकवाल ने जैविक पिता हरीश नकवाल पिता बाबुलाल नकवाल से रजिस्टर्ड दत्तक ग्रहण विलेख द्वारा गोद लिया था. प्रार्थीया वैजन्तीमाला पिता हरीश नकवाल सभी कानूनी उद्देश्यों के लिए राजेश नकवाल पिता बाबुलाल नकवाल की पुत्री अर्थात वैजन्तीमाला पिता राजेश नकवाल के नाम से जानी–पहचानी जाती है.

पुराना नाम	नया नाम
(वैजन्तीमाला)	(वैजन्तीमाला)
जैविक पिता– हरीश नकवाल	दत्तक पिता– राजेश नकवाल.

(G-2813)

नाम परिवर्तन

मैं, रामप्रसाद भील पिता देवचन्द भील, निवासी– सदर बाजार के पास, ग्राम खेड़ी, जिला रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में रामप्रताप पिता देवचन्द जाति भील दर्ज है. मैं, दोनों नाम से जाना–पहचाना जाता हूँ, दोनों ही नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे रामप्रसाद भील पिता देवचन्द भील के नाम से जाना–पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रामप्रताप)	(रामप्रसाद भील)
पिता– देवचन्द	पिता– देवचन्द भील.

(G-2814)

नाम परिवर्तन

मैं, प्रेमलता पति जयन्तीलाल (पिता भागीरथ), निवासी– वार्ड नं. 06, मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.).मेरा नाम कुछ दस्तावेजों में एवं स्कूल रिकार्ड में प्रेमलता पिता भागीरथ अंकित एवं आधार कार्ड में ललीता पति जयंतीलाल अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे प्रेमलता पति जयंतीलाल (पिता भागीरथ) (PREMLATA W/o. JAYANTILAL (D/o. BHAGIRATH) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(ललीता)	(प्रेमलता)
पिता– भागीरथ	(PREMLATA)
	पति– जयंतीलाल (पिता भागीरथ)
	W/o. JAYANTILAL
	(D/o. BHAGIRATH).

(G-2815)

नाम परिवर्तन

मैं, जयदेव गोस्वामी पिता जगदीश नारायण गोस्वामी, निवासी– 106, अंजनीधाम, रतलाम (म.प्र.). मेरा नाम कुछ शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में JAYA DEVA GOSWAMI S/o. JAGDISHNARAYAN GOSWAMI एवं मतदाता परिचय–पत्र में जयदेव गोस्वामी पिता जगदीश गोस्वामी एवं आधार कार्ड में जयदेव गोस्वामी (JAYDEV GOSWAMI) पिता जगदीश नारायण गोस्वामी (JAYDEV GOSWAMI S/o. JAGDISH NARAYAN GOSWAMI) अंकित है. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे जयदेव गोस्वामी पिता जगदीश नारायण गोस्वामी (JAYDEV GOSWAMI S/o. JAGDISH NARAYAN GOSWAMI) के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(जयदेवा गोस्वामी)
(JAYA DEVA GOSWAMI)

नया नाम

(जयदेव गोस्वामी)
(JAYDEV GOSWAMI)
पिता– जगदीश नारायण गोस्वामी
(S/o. JAGDISH NARAYAN GOSWAMI).

(G-2816)

नाम परिवर्तन

मैं, लेखनी पाल पत्नी श्री वीरेन्द्र पाल, निवासी–60, राजहर्ष कालोनी, शकुंतला नगर नयापुरा कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). विवाह पूर्व मेरा नाम लता यादव स्कूल / कॉलेज के शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों में अंकित है तथा आधार कार्ड / वोटर कार्ड में लता पाल अंकित है. अब विवाह उपरान्त मेरा नाम लेखनी पाल (Lekhni Pal) पत्नी श्री वीरेन्द्र पाल हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम लेखनी पाल (Lekhni Pal) पत्नी श्री वीरेन्द्र पाल के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(लता पाल)

नया नाम

(लेखनी पाल)
(Lekhni Pal)
पत्नी– श्री वीरेन्द्र पाल.

(G-2817)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम शरद जायसवाल (Sharad Jaiswal) पिता श्यामसुन्दर जायसवाल है, जो कि मेरे जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित है एवं मेरे आधार कार्ड में मेरे पूर्ण नाम के स्थान पर अपूर्ण नाम शरद (Sharad) दर्ज हो गया है, जो सही होकर पूर्ण नाम शरद जायसवाल (Sharad Jaiswal) पिता श्यामसुन्दर जायसवाल है. अतः प्रकाशन उपरान्त वर्तमान एवं भविष्य में मुझे मेरे पूर्ण एवं सही नाम शरद जायसवाल (Sharad Jaiswal) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(शरद)

नया नाम

(शरद जायसवाल).

(G-2818)

नाम परिवर्तन

विवाह पूर्व मेरा नाम "राधा मदनलाल शर्मा" था तथा मेरा यही नाम विवाह पूर्व के समस्त दस्तावेजों में मेरा यही नाम दर्ज है. मेरा विवाह उमाकांत शर्मा के साथ होने के उपरान्त मेरा नाम परिवर्तित होकर रेणु शर्मा (Renu Sharma) हो गया है व विवाह उपरांत से मैं, अपने इसी नाम से सम्बोधित व पहचानी जाती हूँ. अतः प्रकाशन उपरान्त भविष्य में मुझे रेणु शर्मा (Renu Sharma) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

प्रार्थिनी

(रेणु शर्मा)
पति– श्री उमाकांत शर्मा
पता– 105, तिरूपति नगर, एरोड्रम रोड़, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2819)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम आर्यन मालवीय पुत्र दिनेश कुमार (Aryan Malviya S/o. Dinesh Kumar), निवासी– आम रास्ता, दादियाखेड़ी, कालपीपल, उप जिला कालापीपल, जिला शाजापुर, (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश नाम अतुल पुत्र दिनेश कुमार (Atul S/o. Dinesh Kumar) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक अंकसूची में दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों मे भी दर्ज किया जावे. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन मालवीय पुत्र दिनेश कुमार (Aryan Malviya S/o. Dinesh Kumar) के नाम से जाना– पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक
(दिनेश कुमार)
पुत्र– रामचरन.

(G-2820)

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का नाम सक्षम मालवीया पुत्र संदीप मालवीया (Saksham Malviya S/o. Sandeep Malviya), निवासी– वॉर्ड नं. 05 तिलक पथ निवासी रोड, मालवीया गारमेन्टस् सेंधवा, बडवानी (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अक्षत मालवीया पुत्र संदीप मालवीया (Akshat Malviya S/o. Sandip Malviya) अंकित हो गया है, जो कि गलत है. मेरे पुत्र का सही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र व शैक्षणिक अंकसूची में दर्ज है तथा सही नाम को सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे. दोनों नाम मेरे पुत्र के है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र का सही नाम सक्षम मालवीया पुत्र संदीप मालवीया (Saksham Malviya S/o. Sandeep Malviya) के नाम से जाना– पहचाना व लिखा–पढ़ा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(अक्षत मालवीया)	**(सक्षम मालवीया)**
(Akshat Malviya)	**(Saksham Malviya)**
	पुत्र– संदीप मालवीया
	S/o. Sandeep Malviya.

(G-2821)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम रेचल पारीक (RACHEL PAREEK) पिता सुभाष पारीक, निवासी– ईडब्ल्यूएस– 29, कुंदन नगर, बागमुगलिया, हुजूर, भोपाल (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम रेचल (Rechal) अंकित हो गया है, जबकि मेरा सही नाम रेचल पारीक (RACHEL PAREEK) है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे रेचल पारीक (RACHEL PAREEK) पिता सुभाष पारीक के नाम से जाना– पहचाना व लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(रेचल)	**(रेचल पारीक)**
(Rechal)	**(RACHEL PAREEK).**

(G-2822)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम मोहर सिंह विश्वकर्मा (Mohar Singh Vishvkarma) पिता किशोर लाल, पता– म.नं. 1126 शाहपुर, भोपाल, (म.प्र.). मेरे शैक्षिणिक / गैरशैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम मोहर सिंग विश्वकर्मा अंकित है, जबकि मेरा सही नाम मोहर सिंह विश्वकर्मा है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मोहर सिंह विश्वकर्मा (Mohar Singh Vishvkarma) पिता किशोर लाल के नाम से ही जाना–पहचाना व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(मोहर सिंग विश्वकर्मा)	**(मोहर सिंह विश्वकर्मा)**
	(Mohar Singh Vishvkarma)

(G-2823)

नाम परिवर्तन

मैं, विनीत कुमार माली आत्मज श्री बद्दू लाल माली, निवासी– ग्राम भौरी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का सही नाम कृत्विक सैनी (KRITVIK SAINI) है. त्रुटिवश जन्म प्रमाण–पत्र में मेरे पुत्र का नाम काव्यांश सैनी (KAAVYANSH SAINI) हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र को उसके सही नाम कृत्विक सैनी (KRITVIK SAINI) के नाम से जाना जावेगा एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में मेरे पुत्र का यही नाम दर्ज किया जावे.

आवेदक

(विनीत कुमार माली)
आत्मज श्री बद्दू लाल माली.

(G-2824)

नाम परिवर्तन

मैं, जितेन्द्र सिंह ठाकुर पुत्र सोबाल सिंह ठाकुर, निवासी–वार्ड 06, जावर, तहसील जावर, जिला सीहोर (म.प्र.). मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश प्रमवीर नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है, जबकि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण–पत्र मैं, राघव ठाकुर नाम दर्ज है, जो कि सही है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अशासकीय/व्यक्तिगत दस्तावेजों में राघव ठाकुर के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

आवेदक

(जितेन्द्र सिंह ठाकुर)
पुत्र– सोबाल सिंह ठाकुर.

(G-2825)

नाम परिवर्तन

मैं, गजराज सिंह पुत्र नरवत सिंह, निवासी– म. नं. 75, कुण्डिया धांगा, मेहतवाडा जावर, सीहोर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम गजरात सिंह (GAJARAT SINGH) पुत्र नर्वत सिंह नाम दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. जबकि मेरे वोटर कार्ड में गजराज सिंह (GAJRAJ SINGH) पुत्र नरवत सिंह नाम दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त दस्तावेजों में सही नाम गजराज सिंह (GAJRAJ SINGH) पुत्र नरवत सिंह के नाम से जाना–पहचाना एवं लिखा–पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(गजरात सिंह)
(GAJARAT SINGH)
पुत्र– नर्वत सिंह

आवेदक

(गजराज सिंह)
(GAJRAJ SINGH)
पुत्र– नरवत सिंह.

(G-2826)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व नाम बिपेन्द्र सिंह को परिवर्तित कर नया नाम विपिन (VIPIN) हो गया है. इससे पूर्व मेरा नाम बिपेन्द्र सिंह, आधार कार्ड में दर्ज है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरे समस्त दस्तावेजों में जहां पुराना नाम बिपेन्द्र सिंह दर्ज था, उसके स्थान पर नया नाम विपिन (VIPIN) पढ़ा– लिखा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(बिपेन्द्र सिंह)
(BIPENDRA SINGH)

आवेदक

(विपिन)
(VIPIN)
पुत्र– नरबत सिंह.

(G-2827)

नाम परिवर्तन

मैं, अनिकेत काछी पटेल पिता मानक, निवासी– ग्राम चैनपुरा, पोस्ट सरखडी, तहसील जैसीनगर, जिला सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अनिकेत काछी पटेल अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है. मेरा सही नाम अनिकेत काछी है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे अनिकेत काछी के नाम से जाना–पहचाना जावे.

प्रार्थी

(अनिकेत काछी)

पिता– मानक.

(G-2828)

नाम परिवर्तन

मेरा सही नाम PINKI पुत्री श्री MADAN RAJAK है, जो कि मेरी दसवीं की अंकसूची, आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि त्रुटिवश मेरी 12वीं कक्षा की अंकसूची में मेरा नाम PINKY दर्ज हो गया है, जो कि गलत है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे मेरे सही नाम PINKI पुत्री श्री MADAN RAJAK के नाम से जाना–पहचाना व सभी शासकीय/ अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(PINKY)	**(PINKI)** पुत्री– श्री MADAN RAJAK पता– एस.व्ही.एन. कॉलेज मार्ग, लोधीपुरा पथरिया, जाट सागर (म.प्र.).

(G-2829)

नाम परिवर्तन

मेरी पुत्री का सही नाम कोमल गनी (Komal Gani) है, यही नाम उसके जन्म प्रमाण–पत्र, समग्र आई.डी. दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम कोमल किश्वर (Komal Kishwar) दर्ज हो गया है. अतः प्रकाशन उपरान्त मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम कोमल किश्वर (Komal Kishwar) के स्थान पर कोमल गनी (Komal Gani) के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

आवेदिका

(रेशमा गनी)

पत्नी– स्वर्गीय अमजद गनी,

निवासी– 93, मिल एरिया रोड,

दत्तपुरा, मुरैना (म.प्र.).

(G-2830)

नाम परिवर्तन

मैं, सरोज देवी अमर पत्नी श्री विजय कुमार अमर, निवासी– 9–10, सी.आई. इन्क्लेव, चूनाभट्टी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे परिवार राशन कार्ड में मेरा नाम सरोज जोशी अंकित है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरे सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, पैन कार्ड में मेरा नाम सरोज देवी अमर पत्नी श्री विजय कुमार अमर है, जो कि मेरा सही नाम है. अतः प्रकाशन उपरान्त मुझे सरोज देवी अमर पत्नी श्री विजय कुमार अमर के नाम से जाना–पहचाना, लिखा–पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
(सरोज जोशी) **(SAROJ JOSHI)**	(सरोज देवी अमर) **(SAROJ DEVI AMAR)** पत्नी– श्री विजय कुमार अमर.

(G-2831)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक, लोकन्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

टीकमगढ़, दिनांक 31 मार्च 2026

प्र. क्र. 0005–वी–113(1)–2025–26.– एतदद्वारा, समस्त नगर/ ग्रामवासी टीकमगढ़ को सूचित किया जाता है कि आवेदक सागर जैन तनय जिनेन्द्र कुमार जैन, ध्रुव जैन तनय उपेन्द्र कुमार जैन, निवासी– टीकमगढ़, तहसील टीकमगढ के द्वारा ''श्रुत संवाहक समूह लोक न्यास (ट्रस्ट)'' का ट्रस्ट बनाये जाने हेतु आवेदन–पत्र लोक न्यास अधिनियम, 1951 लोक न्यास की धारा 4(3) के तहत् प्रस्तुत किया गया है.

अतः, एतद्द्वारा सूचना दी जाती है अन्तर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शित अचल–सम्पत्ति एवं परिशिष्ट–2 में दर्शित चल–सम्पत्ति के सबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 30 अप्रैल 2026 को मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है, उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज जारी किया गया.

परिशिष्ट–1

(लोक न्यास और अचल सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नामः– श्रुत संवाहक समूह लोक न्यास (ट्रस्ट)

अचल–सम्पत्तिः–

क्र.	अचल सम्पत्ति	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	जिनेन्द्र तनय स्व. श्री किशोरी लाल जैन, निवासी– कटरा बाजार टीकमगढ़ के स्वामित्य वाली सम्पत्ति के अग्रिम भाग का लगभग 10/10 वर्गफुट स्थान श्रुत संवाहक समूह के कार्यालय संचालन हेतु सुरक्षित.	–

परिशिष्ट–2

(चल सम्पत्ति का विवरण)

चल–सम्पत्ति :–

क्र.	चल सम्पत्ति	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	नगद राशि	50,000/–

संस्कृति मुदित लटौरिया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-2832)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील कोलार, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 मार्च 2026

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5(1)के अंतर्गत]

प्र.क्र.–1000–बी–121–2025–26.– जैसा कि आवेदक अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशोक जैन श्री कुंदकुंद कहान दिगम्बर जैन ट्रस्ट, पता ई–2/103, अरेरा कॉलोनी, जिला भोपाल द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि ट्रस्टी सदस्य, श्री अजीत कुमार जैन पुत्र स्व. श्री मूलचंद जी मोदी का दिनांक 20 अगस्त 2016 को निधन हो जाने से उत्पन्न रिक्त पद पर ट्रस्ट के सर्वसम्मत निर्णयानुसार श्री आशीष कुमार जैन पुत्र स्व. श्री अजती कुमार जैन, नि. 157, ग्रीन पार्क कॉलोनी, भोपाल को ट्रस्टी सदस्य नियुक्त किया गया. इसी प्रकार ट्रस्टी सदस्य श्री मुकेश कुमार जैन पुत्र स्व. श्री राजेश जैन द्वारा त्यागपत्र दिए जाने से उत्पन्न रिक्त पद पर ट्रस्टी के निर्णयानुसार श्री चिन्मय कुमार जैन पुत्र श्री सनत जैन घर संसार स्टोर्स माधव बाग, विदिशा को ट्रस्टी सदस्य नियुक्त किया गया. ट्रस्ट की बैठक दिनांक 20 जुलाई 2025 में उपर्युक्त समस्त ट्रस्टी परिवर्तनों की पुनः पुष्टि करते हुए अनुमोदन हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 13 अप्रैल 2026 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 12 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

प्रकाशचंद्र पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी.

(G-2833)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग मेघनगर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

मेघनगर, दिनांक 16 मार्च 2026

क्र.–353–रीडर–1–2026.–एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी जुनेद दुर्वश निवासी मेघनगर, तहसील मेघनगर, जिला झाबुआ (म.प्र.). अध्यक्ष, बयतुल अतफाल द्वारा इस आशय का आवेदन– पत्र प्रस्तुत किया है कि उनकी ट्रस्ट बयतुल अतफाल, पता दरगाह रोड आरा मशीन के पास वार्ड नं. 05 मेघनगर जिला झाबुआ, जो कि शासकीय कार्यालय में पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक आर 06082501151721 है. जिसके आधार पर ट्रस्ट का पंजीयन प्रमाण– पत्र चाहा गया है. जिसकी सुनवाई दिनांक 16 अप्रैल 2026 को उपखण्ड न्यायालय मेघनगर पर समय प्रातः 11:00 बजे की जावेगी.

अतएव आवेदक को ट्रस्ट का पंजीयन प्रमाण– पत्र प्रदाय किये जाने पर यदि जिस किसी को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो आप स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित आपत्ति आवेदन प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 16 अप्रैल 2026 को प्रकरण में सुनवाई के दौरान उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें. बाद–मियाद गुजर जाने के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार न ही किया जावेगा तथा विधिवत् कार्यवाही अमल में लाई जावेगी.

अवनधती प्रधान, अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

(G-2834)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं मर्या., 25 संस्थाएं (समस्त), जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 17 मार्च 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57(ग) के अंतर्गत]

क्रमांक–क्यू.–2026.– निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं के नाम के सम्मुख दर्शित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक है, को उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला मन्दसौर के आदेश क्रमांक (संस्था के नाम के आगे वर्णित आदेश क्रमांक एवं दिनांक) के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया:–

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्र. व दिनांक	आदेश क्र. व दिनांक	तहसील	जिला	आपत्ति प्रस्तुत करने का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, डिगांवमाली.	432 / 07–08–1987	640 / 11–02–2026	मंदसौर	मंदसौर	कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, मित्र वत्सला भवन, रामटेकरी कॉर्नर, जिला मन्दसौर.
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खोती.	1392 / 11–08–2015	648 / 11–02–2026	सीतामऊ	मंदसौर	–
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, साखतली.	425 / 16–04–1987	649 / 11–02–2026	सीतामऊ	मंदसौर	–
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लदुना.	434 / 07–08–1987	637 / 11–02–2026	सीतामऊ	मंदसौर	–
5.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टकरावद.	1075 / 07–10–2014	654 / 11–02–2026	गरोठ	मंदसौर	–
6.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, धाकड पिपलिया.	1500 / 31–03–2018	655 / 11–02–2026	सीतामऊ	मंदसौर	–
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छांगा.	931 / 24–11–2010	656 / 11–02–2026	भानपुरा	मंदसौर	–
8.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टोकडा.	1163 / 22–12–2014	657 / 11–02–2026	सीतामऊ	मंदसौर	–
9.	शासकीय पेंशनर्स साख सहकारी संस्था मर्यादित, मंदसौर.	1519 / 10–12–2018	659 / 11–02–2026	मंदसौर	मंदसौर	–
10.	मुरली धुन साख सहकारी संस्था मर्यादित, मंदसौर.	1536 / 09–07–2019	661 / 11–02–2026	मंदसौर	मंदसौर	–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11.	प्रगति साख सहकारी संस्था मर्यादित, दलौदा.	1371 / 30–06–2015	664 / 11–02–2026	दलौदा	मंदसौर	–
12.	महाराणा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, कोटडा खुर्द.	1407 / 06–10–2015	669 / 11–02–2026	गरोठ	मंदसौर	–
13.	चारभुजा श्रमिक कामगार सहकारी संस्था मर्यादित, रेवास देवड़ा (पश्चिम).	796 / 19–02–1996	671 / 19–02–2026	मंदसौर	मंदसौर	–
14.	सांई मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्यादित, मंदसौर.	848 / 12–11–2003	672 / 11–02–2026	मंदसौर	मंदसौर	–
15.	दशपुर पर्यटन विकास सहकारी समिति मर्या., मंदसौर.	833 / 20–09–2000	673 / 11–02–2026	मंदसौर	मंदसौर	–
16	खान खनिज उत्पादक प्रक्रिया एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित, मंदसौर.	585 / 19–04–1996	674 / 11–02–2026	मंदसौर	मंदसौर	–
17.	महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, खिलचीपुरा.	13 / 06–10–1987	675 / 11–02–2026	मंदसौर	मंदसौर	–
18.	मंदसौर महिला बुनकर सहकारी संस्था मर्यादित, खिलचीपुरा.	1034 / 19–12–2013	676 / 11–02–2026	मंदसौर	मंदसौर	–
19.	महावीर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रणायरा.	1111 / 20–10–2014	701 / 11–02–2026	शामगढ	मंदसौर	–
20.	नटराज बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नगरी.	889 / 10–10–2007	702 / 11–02–2026	दलौदा	मंदसौर	–
21.	अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पालसोडा.	1097 / 10–10–2014	703 / 11–02–2026	दलौदा	मंदसौर	–
22.	श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुरावन.	1098 / 10–10–2014	704 / 11–02–2026	गरोठ	मंदसौर	–
23.	कल्पतरु बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बनी.	1103 / 13–10–2014	705 / 11–02–2026	दलौदा	मंदसौर	–
24.	श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोटडा बहादुर.	1175 / 29–12–2014	706 / 11–02–2026	सीतामऊ	मंदसौर	–
25.	शेषनाग बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खजूरीनाग.	1130 / 20–10–2014	707 / 11–02–2026	सीतामऊ	मंदसौर	–

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 62 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना–पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अंदर मय–प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से कार्यालयीन समय पर मुझे प्रस्तुत करें निर्धारित समयावधि में तथा साक्ष्यों से समर्थित दावा प्रस्तुत न होने की स्थिति में दावा मान्य नहीं किया जावेगा या संस्था की अद्यतन लेखा पुस्तक के आधार पर दायित्व का भुगतान किया जावेगा.

यह सूचना–पत्र आज दिनांक 17 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

टी. आर. गुन्दावत, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

(G-2835)

कार्यालय, उपायुक्त सहकारिता, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 23 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्रमांक–परिसमापन–2026–248.– इस कार्यालय के आदेश क्र./परिसमापन/2022/405, दिनांक 09 मार्च 2022 के द्वारा द्वारिका साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1739, खरगोन दिनांक 10 मार्च 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री एस. आर. सोलंकी, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए द्वारिका साख सहकारी संस्था मर्या., खरगोन, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1739 खरगोन, दिनांक 10 मार्च 2014 है. जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2836)

खरगोन, दिनांक 23 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्रमांक–परिसमापन–2026–249.–इस कार्यालय के आदेश क्र./परिसमापन /2021/708, दिनांक 19 जुलाई 2021 के द्वारा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टेमला, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 910 खरगोन, दिनांक 08 मार्च 1994 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री योगेश शरद, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त हैं. का प्रयोग करते हुए दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टेमला तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 910 खरगोन, दिनांक 08 मार्च 1994 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2837)

खरगोन, दिनांक 23 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्रमांक–परिसमापन–2026–250.– इस कार्यालय के आदेश क्र./परिसमापन/2025/350, दिनांक 24 मार्च 2025 के द्वारा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलसगांव, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 2011 खरगोन, दिनांक 12 नवम्बर 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री अंतर सिंह जाधव, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बलसगांव, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 2011 खरगोन, दिनांक 12 नवम्बर .2014 है. जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बांडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2838)

खरगोन, दिनांक 23 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्रमांक–परिसमापन–2026–251.– इस कार्यालय के आदेश क्र./परिसमापन/2025/351, दिनांक 24 मार्च 2025 के द्वारा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करही, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 675 खरगोन दिनांक 16 जून 1985 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री अंतर सिंह जाधव, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह–1सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करही, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 675 खरगोन, दिनांक 16 जून 1985 है, जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2839)

खरगोन, दिनांक 23 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत]

क्रमांक–परिसमापन–2026–252.– इस कार्यालय के आदेश क्र./परिसमापन/2025/349, दिनांक 24 मार्च 2025 के द्वारा दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रमजानपुरा तहसील महेश्वर, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 2010 खरगोन, दिनांक 12 नवम्बर 2014 है, जिसको मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर, धारा 70 के अंतर्गत श्री अंतर सिंह जाधव, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारुप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण–पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना व्यापक लोकहित में उचित है.

अतः मैं, के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्र. एफ 5–1–99–पन्द्रह–1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए दुध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या, रमजानपुरा, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 2010 खरगोन, दिनांक 12 नवम्बर 2014 है. जिसका रजिस्ट्रीकरण निरस्त करता हूँ एवं उक्त संस्था का निगम निकाय (बाड़ी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 23 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

के. आर. अवासे, सहायक रजिस्ट्रार.

(G-2840)

कार्यालय, सहायक आयुक्त(प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्रमांक–परिसमापन–2026–85.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./988, बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुमड़िया बुजुर्ग (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 206, दिनांक 04 जुलाई 2006 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले सहायक, पंजीयक सहकारी सस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुमड़िया बुजुर्ग, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 206, दिनांक 04 जुलाई 2006 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बाँडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2841)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्रमांक–परिसमापन–2026–86.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1006, बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मेणीमाता (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 251, दिनांक 29 मई 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, वरि. सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मेणीमाता, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 251, दिनांक 29 मई 2008 है. संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2842)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्रमांक–परिसमापन–2026–87.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./994 बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 241, दिनांक 20 मार्च 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जगन्नाथ जमरे, सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसनापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्थां के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 241, दिनांक 20 मार्च 2008 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2843)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्रमांक–परिसमापन–2026–88.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1005 बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हिरकराय (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 254, दिनांक 27 अगस्त 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, वरि. सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, हिरकराय, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 254, दिनांक 27 अगस्त 2008 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2844)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्रमांक–परिसमापन–2026–89.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./472 बड़वानी, दिनांक 31 मार्च 2017 के द्वारा चिकल्या आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चिकल्या (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 280, दिनांक 06 दिसम्बर 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, वरि. सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन चिकल्या आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चिकल्या, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 280, दिनांक 06 दिसम्बर 2010 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2845)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्रमांक–परिसमापन–2026–90.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1004 बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वेदपुरी (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 252, दिनांक 29 मई 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, वरि. सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अंतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वेदपुरी, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 252, दिनांक 29 मई 2008 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2846)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्रमांक–परिसमापन–2026–91.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./984 बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उपला (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1103, दिनांक 16 जनवरी 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जगन्नाथ जमरे, सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उपला, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1103, दिनांक 16 जनवरी 1997 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2847)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्रमांक–परिसमापन–2026–92.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./983 बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उपलाघाटी (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1170 दिनांक 31 अगस्त 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जगन्नाथ जमरे, सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उपलाघाटी, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1170, दिनांक 31 अगस्त 1998 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2848)

बड़वानी, दिनांक 30 जनवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्रमांक–परिसमापन–2026–93.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./819 बड़वानी, दिनांक 09 नवम्बर 2016 के द्वारा जवाहरगंज महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सेंधवा (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 789, दिनांक 31 दिसम्बर 1990 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राधेश्याम चौहान, उप अंकेक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन जवाहरगंज महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सेंधवा, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 789, दिनांक 31 दिसम्बर 1990 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 30 जनवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2849)

बड़वानी, दिनांक 19 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–166.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./132, बड़वानी, दिनांक 31 मार्च 2006 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, जुनापानी (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 607, दिनांक 11 जनवरी 1983 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री भूपेन्द्र जामोद, उप अंकेक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित जुनापानी, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 607, दिनांक 11 जनवरी 1983 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2850)

बड़वानी, दिनांक 27 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–222.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./466, बड़वानी दिनांक 31 मार्च 2017 के द्वारा केरियर साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 458, दिनांक 29 अप्रैल 2015 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन केरियर साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 458, दिनांक 29 अप्रैल 2015 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हैं.

आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2851)

बड़वानी, दिनांक 27 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–221.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./775, बड़वानी, दिनांक 18 मई 2022 के द्वारा गायत्री ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बान्दरकच्छ (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 164, दिनांक 09 जनवरी 2004 है. को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) (2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन गायत्री ग्रामीण महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बान्दरकच्छ, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 164, दिनांक 09 जनवरी 2004 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करतें हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2852)

बड़वानी, दिनांक 27 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–220.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./469, बड़वानी दिनांक 31 मार्च 2017 के द्वारा दक्ष साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नंम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 322, दिनांक 04 जनवरी 2013 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दक्ष साख सहकारी संस्था मर्यादित, बड़वानी, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 469, दिनांक 04 जनवरी 2013 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2853)

बड़वानी, दिनांक 27 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–219.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./990, बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वझर (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 204, दिनांक 04 जुलाई 2006 है. को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जे.एस. रावत, वरि. सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, वझर, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 204, दिनांक 04 जुलाई 2006 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2854)

बड़वानी, दिनांक 27 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–218.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./997, बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लोनसराबुजुर्ग (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 245, दिनांक 01 अप्रैल 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, वरि. सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लोनसराबुजुर्ग, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 245, दिनांक 01 अप्रैल 2008 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2855)

बड़वानी, दिनांक 27 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–217.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./410, बड़वानी, दिनांक 04 नवम्बर 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमदा (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 508, दिनांक 07 दिसम्बर 1974 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरि. सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमदा, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 508, दिनांक 07 दिसम्बर 1974 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2856)

बड़वानी, दिनांक 27 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–216.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1023, बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टाण्डा टेमला (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 11, दिनांक 22 सितम्बर 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिरसाट, वरि. सहकारी निरीक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापंक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, टाण्डा टेमला, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 11, दिनांक 22 सितम्बर 2000 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2857)

बड़वानी, दिनांक 27 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–215.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1421, बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मल्फा (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसकी पंजीयन क्रमांक 729, दिनांक 19 दिसम्बर 1988 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए. उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मल्फा, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 729, दिनांक 19 दिसम्बर 1988 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2858)

बड़वानी, दिनांक 27 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–214.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./992, बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ऑवली (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1099, दिनांक 16 जनवरी 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, वरि. सहकारी निरीक्षक सहकारिता जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ऑवली, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1099, दिनांक 16 जनवरी 1997 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2859)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–204.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./485, बड़वानी, दिनांक 31 मार्च 2017 के द्वारा नर्मदा आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कासेल (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 277, दिनांक 04 दिसम्बर 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रभा बघेल, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन नर्मदा आजीविका बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कासेल, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 277, दिनांक 04 दिसम्बर 2010 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 25 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2860)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–207.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./132, बड़वानी, दिनांक 28 जून 2006 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ब्राहम्णगांव (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1102, दिनांक 16 जनवरी 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राधेश्याम चौहान, उप अंकेक्षक, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ब्राहम्णगांव, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 1102, दिनांक 16 जनवरी 1997 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 25 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2861)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–205.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./957, बड़वानी, दिनांक 13 सितम्बर 2023 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रसवां (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 351, दिनांक 22 मार्च 2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राधेश्याम चौहान, उप अंकेक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रसवां, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 351, दिनांक 22 मार्च 2014 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 25 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2862)

बड़वानी, दिनांक 25 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1)(2) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–206.– कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./998, बड़वानी, दिनांक 08 दिसम्बर 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, काकरिया (पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं पंजीयन नम्बर व दिनांक के आधार पर) जिला बड़वानी जिसका पंजीयन क्रमांक 249, दिनांक 11 अप्रैल 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री राधेश्याम चौहान, उप अंकेक्षक सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की परिसमापन संबंधी कार्यवाही पूर्ण करके संस्था का स्थिति विवरण पत्रक निरंक किया जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं. इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, सुरेश सांवले, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 18(1)(2) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5/1/99/15–1/डी, दिनांक 26 जुलाई 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त परिसमापनाधीन दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, काकरिया, जिला बड़वानी, जिसका पंजीयन क्रमांक 249 दिनांक 11 अप्रैल 2008 है, संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का (बॉडी कार्पोरेट) निकाय समाप्त करता हूँ.

आज दिनांक 25 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2863) **सुरेश सांवले,** सहायक पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 27 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–259.– इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2025/591, सीहोर, दिनांक 26 मई 2026 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बागनखेड़ा, तहसील इछावर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1444, दिनांक 27 सितम्बर 2009 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत सुश्री शिवानी दास, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है। परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है,

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पद्रह–1–सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बागनखेड़ा, तहसील इछावर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1444, दिनांक 27 सितम्बर 2009 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बागनखेड़ा, तहसील इछावर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1444, दिनांक 27 सितम्बर 2009 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2864)

सीहोर, दिनांक 27 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–260.– इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2025/578, सीहोर, दिनांक 20 मई 2025 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बामलादड़, तहसील इछावर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1754, दिनांक 20 फरवरी 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत सुश्री शिवानी दास, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पद्रह–1–सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बामलादड़, तहसील इछावर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1754, दिनांक 20 फरवरी 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बामलादड़, तहसील इछावर, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1754, दिनांक 20 फरवरी 2014 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2865)

सीहोर, दिनांक 27 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–261.– इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2024/1066, सीहोर, दिनांक 16 दिसम्बर 2024 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोठरा, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1810, दिनांक 24 नवम्बर 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री रोहित नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पद्रह–1–सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोठरा, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1810, दिनांक 24 नवम्बर 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कोठरा, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1810, दिनांक 24 नवम्बर 2014 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2866)

सीहोर, दिनांक 27 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–263.– इस कार्यालय का आदेश क्र./परिसमापन/2025/578, सीहोर, दिनांक 20 मई 2025 के द्वारा सांची बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, इटावा जदीद, तहसील रेहटी, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1736 बी, दिनांक 15 जनवरी 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री वैभव सक्सेना, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पद्रह–1–सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत सांची बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, इटावा जदीद, तहसील रेहटी, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1736 बी, दिनांक 15 जनवरी 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से सांची बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, इटावा जदीद, तहसील रेहटी, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1736 बी, दिनांक 15 जनवरी 2014 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2867)

सीहोर, दिनांक 27 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

क्र.–परि.–2026–264.– इस कार्यालय का आदेश क्र/परिसमापन/2025/591, सीहोर, दिनांक 26 मई 2025 के द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बचगांव, तहसील रेहटी, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1596, दिनांक 17 फरवरी 2012 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री वैभव सक्सेना, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक–एफ–5–1–99–पद्रह–1–सी, दिनांक 29 जुलाई 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के अतंर्गत प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बचगांव, तहसील रेहटी, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1596, दिनांक 17 फरवरी 2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. इस आदेश के दिनांक से प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बचगांव, तहसील रेहटी, जिला सीहोर पंजीयन क्रमांक 1596, दिनांक 17 फरवरी 2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-2868) **सुधीर कैथवास,** प्रभारी उप पंजीयक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

विदिशा, दिनांक 26 मार्च 2026

क्र.–परि.–2026–222.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन– 2023–401, विदिशा दिनांक 21 मार्च 2023 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौपड़ा जिसका पंजीयन क्र.–डी.आर–व्ही–डी–एस–869, दिनांक 30 मार्च 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत संशोधित आदेश क्रमांक–परिसमापन–2025–1362, विदिशा, दिनांक 19 दिसम्बर 2025 श्री एम.एस. भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री एम.एस. भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 26 मार्च 2026 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौपड़ा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के सम्बंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूं कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री एम.एस. भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही सम्बंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2869)

विदिशा, दिनांक 26 मार्च 2026

क्र.–परिसमापन–2026–223.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन– 2023–406, विदिशा दिनांक 21 मार्च 2023 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कांकलखेड़ी जिसका पंजीयन क्र.–डी.आर–व्ही–डी–एस–870, दिनांक 30 मार्च 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत संशोधित आदेश क्रमांक–परिसमापन–2025–1362, विदिशा, दिनांक 19 दिसम्बर 2025 श्री एम.एस. भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री एम.एस. भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 26 मार्च, 2026 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कांकलखेड़ी के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के सम्बंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूं कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी. भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री एम.एस. भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही सम्बंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2870)

विदिशा, दिनांक 26 मार्च 2026

क्र.–परिसमापन–2026–224.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन– 2023–402, विदिशा दिनांक 21 मार्च 2023 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिसराई जिसका पंजीयन क्र.–डी.आर–व्ही–डी–एस–879, दिनांक 03 जुलाई 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत संशोधित आदेश क्रमांक–परिसमापन–2025–1362, विदिशा, दिनांक 19 दिसम्बर 2025 श्री एम.एस. भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री एम.एस. भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 26 मार्च 2026 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिसराई के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के सम्बंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं इस निष्कर्ष पहुँचा हूं कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री एम.एस. भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही सम्बंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2871)

विदिशा, दिनांक 26 मार्च 2026

क्र.–परिसमापन–2026–225.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन– 2016–741, विदिशा दिनांक 09 जून 2016 से हीरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा जिसका पंजीयन क्र.–डी.आर–व्ही–डी–एस–978, दिनांक 07 जनवरी 2015 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत संशोधित आदेश क्रमांक–परिसमापन–2025–1362, विदिशा, दिनांक 19 दिसम्बर 2025 श्री एम.एस. भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री एम.एस. भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 26 मार्च 2026 से हीरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सीहोरा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के सम्बंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूं कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री एम.एस. भदौरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही सम्बंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2872)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र.–परिसमापन–2026–230.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन– 2006–11, विदिशा दिनांक 05 जनवरी 200च6 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पीपलधार जिसका पंजीयन क्र.–डी.आर–व्ही–डी–एस–478, दिनांक 11 जनवरी 1993 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत संशोधित आदेश क्रमांक–परिसमापन–2020–1252, विदिशा, दिनांक 25 नवम्बर 2020 श्री नितिन श्रीराव, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री नितिन श्रीराव, उप अंकेक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 24 मार्च 2026 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पीपलधार के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के सम्बंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूं कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री नितिन श्रीराव, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही सम्बंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2873)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र.–परिसमापन–2026–231.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन– 2023–395, विदिशा दिनांक 21 मार्च 2023 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुआखेड़ी जिसका पंजीयन क्र.–डी.आर–व्ही डी एस–818, दिनांक 26 दिसम्बर 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत श्री के.सी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री के.सी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 25 मार्च 2026 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुआखेड़ी के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के सम्बंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूं कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री के.सी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही सम्बंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2874)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र.–परिसमापन–2026–232.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन– 2023–391, विदिशा, दिनांक 21 मार्च 2023 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मटयाई जिसका पंजीयन क्र./डी.आर/व्ही/डी/एस/922, दिनांक 08 मई 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत श्री के.सी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री के.सी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 25 मार्च 2026 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मटयाई के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के सम्बंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूं कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री के.सी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से ज़ारी किया गया.

(G-2875)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र.–परिसमापन–2026–233.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–392, विदिशा, दिनांक 21 मार्च 2023 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पोतला जिसका पंजीयन क्र./डी.आर/व्ही/डी/एस/963, दिनांक 20 अक्टूबर 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री के.सी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री के.सी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 25 मार्च 2026 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पोतला के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के सम्बंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूं कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी. भोपाल दिनाक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री के.सी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2876)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र.–परिसमापन–2026–234.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–396, विदिशा, दिनांक 21 मार्च 2023 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बहरयाई जिसका पंजीयन क्र./डी.आर/व्ही/डी/एस/859, दिनांक 28 मार्च 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत श्री के.सी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री के.सी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 25 मार्च 2026 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बहरयाई के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पहुँचा हूं कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री के.सी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही सम्बंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2877)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र.–परिसमापन–2026–235.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–394, विदिशा दिनांक 21 मार्च 2023 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मढीपुर जिसका पंजीयन क्र./डी.आर/व्ही/डी/एस/899, दिनांक 27 जनवरी 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत श्री के.सी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री के.सी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 25 मार्च 2026 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मढीपुर के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के सम्बंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष

पहुँचा हूं कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री के.सी. यादव, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2878)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र.–परिसमापन–2026–236.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन– 2023–420, विदिशा दिनांक 21 मार्च 2023 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नौलई जिसका पंजीयन क्र./डी.आर/व्ही/डी/एस/847, दिनांक 28 फरवरी 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत संशोधित आदेश क्रमांक–परिसमापन–2025–1360, विदिशा, दिनांक 19 दिसम्बर 2025 कु. रश्मि धुर्वे, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

कु. रश्मि धुर्वे, उप अंकेक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 24 मार्च 2026 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नौलई के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के सम्बंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि अधि ानियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर, अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक कु. रश्मि धुर्वे, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2879)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र.–परिसमापन–2026–237.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–415, विदिशा दिनांक 21 मार्च 2023 से दिनकर प्राथमिक प्रिंटिग प्रेस सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा जिसका पंजीयन क्र./डी.आर/व्ही डी एस/1035, दिनांक 31 जनवरी 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत संशोधित आदेश क्रमांक–परिसमापन–2025–1360, विदिशा, दिनांक 19 दिसम्बर 2025 कु. रश्मि धुर्वे, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

कु. रश्मि धुर्वे, उप अंकेक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 24 मार्च 2026 से दिनकर प्राथमिक प्रिंटिग प्रेस सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर, अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी. भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक कु. रश्मि धुर्वे, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2880)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र.–परिसमापन–2026–238.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन– 2023–389, विदिशा, दिनांक 21 मार्च 2023 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मेनवाडा जिसका पंजीयन क्र./डी.आर/व्ही डी एस/827, दिनांक 08 फरवरी 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत संशोधित आदेश क्रमांक–परिसमापन–2024–724, विदिशा, दिनांक 16 अगस्त 2024 श्री मनोहर रजक, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री मनोहर रजक, उप अंकेक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 26 मार्च 2026 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मेनवाडा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर, अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री मनोहर रजक, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2881)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र.–परिसमापन–2026–239.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2023–388, विदिशा दिनांक 21 मार्च 2023 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, विशनपुर जिसका पंजीयन क्र./डी.आर/व्ही डी एस/886, दिनांक 16 सितम्बर 2013 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत संशोधित आदेश क्रमांक–परिसमापन–2024–724, विदिशा, दिनांक 16 अगस्त 2024 श्री मनोहर रजक, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री मनोहर रजक, उप अंकेक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 26 मार्च 2026 से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, विशनपुर के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर, अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री मनोहर रजक, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही सम्बंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2882)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र.–परिसमापन–2026–240.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2016–774, विदिशा, दिनांक 24 जून 2016 से जिला सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा जिसका पंजीयन क्र./ए. आर/व्ही डी एस/325, दिनांक 07 मई 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत संशोधित आदेश क्रमांक–परिसमापन–2025–1363, विदिशा, दिनांक 19 दिसम्बर 2025 से श्री सुरेश बरकडे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री सुरेश बरकडे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 31 मार्च 2026 से जिला सहकारी भूमि विकास बैंक कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्यादित, विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर, अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री सुरेश बरकडे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2883)

विदिशा, दिनांक 31 मार्च 2026

क्र.–परिसमापन–2026–241.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक–परिसमापन–2016–592, विदिशा, दिनांक 30 अप्रैल 2016 से खनिज उद्योग श्रमिक सहकारी संस्था मर्यादित, पठारी, तहसील कुरवाई जिसका पंजीयन क्र./ए.आर/व्ही डी/एस/351, दिनांक 16 नवम्बर 1990 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अंतर्गत संशोधित आदेश क्रमांक–परिसमापन–2025–1363 विदिशा, दिनांक 19 दिसम्बर 2025 से श्री सुरेश बरकडे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री सुरेश बरकडे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा पत्र क्रमांक–परिसमापन–2026–क्यू, दिनांक 31 मार्च 2026 से खनिज उद्योग श्रमिक सहकारी संस्था मर्यादित, पठारी, तहसील कुरवाई के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में सम्पूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर, अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः मैं, ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–5–1–99–एक–पन्द्रह–1–सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 से प्रदत्त की गई शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित की जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री सुरेश बरकडे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के सम्पूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च 2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

ध्रुव कुमार झारिया, उप पंजीयक.

(G-2884)

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 16 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अन्तर्गत]

क्र.–पंजी.–2026–195.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि–2018–1905, दिनांक 30 सितम्बर 2018 से ऋषिकेश प्राथमिक उपभोक्त सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर, पंजीयन क्र.–डीआर–जी.डब्ल्यू.आर–658, दिनांक 28 मार्च 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2026 से ऋषिकेश प्राथमिक उपभोक्त सहकारी भण्डार मर्यादित, ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, के ज्ञाप क्र.–एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. पंजीयन रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नही होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 58 के अंतर्गत परिसमापक श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2885)

ग्वालियर, दिनांक 16 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजी.–2026–196.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2000–30, दिनांक 30 सितम्बर 2000 से स्वास्तिक कुक्कुट पालन सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, पंजीयन क्र.–ए.आर–जी.डब्ल्यू.आर–757, दिनांक 19 सितम्बर 1994 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2026 से स्वास्तिक कुक्कुट सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2886)

ग्वालियर, दिनांक 16 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजी.–2026–197.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2016–1071, दिनांक 30 मार्च 2016 से अजय प्रकाशन मुद्रण वितरण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, पंजीयन क्र.–डी.आर–जी.डब्ल्यू.आर.–236, दिनांक 29 दिसम्बर 1995 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2026 से अजय प्रकाशन मुद्रण वितरण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2887)

ग्वालियर, दिनांक 16 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजी.–2026–198.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2018–2100, दिनांक 04 अक्टूबर 2018 से औषधि फसल उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, करई घाटीगांव, पंजीयन क्र.–डी.आर–जी.डब्ल्यू.आर–507, दिनांक 12 जून 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2026 से औषधी फसल उत्पादन सहकारी संस्था मर्यादित, करई घाटीगांव के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2888)

ग्वालियर, दिनांक 16 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजी.–2026–199.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2001–854, दिनांक 21 मार्च 2001 से कुक्कुट विकास सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, पंजीयन क्र.–ए.आर–जी.डब्ल्यू.आर–513, दिनांक 23 दिसम्बर 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2026 से कुक्कुट विकास सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री आंनद मांझी, सहकारी निरीक्षक/सीईओ, घाटीगांव को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2889)

ग्वालियर, दिनांक 16 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजी.–2026–200.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2018–1906, दिनांक 12 सितम्बर 2018 से जय अचलेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर, पंजीयन क्र.–डी.आर.–जी.डब्ल्यू.आर.–626, दिनांक 26 दिसम्बर 2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2026 से जय अचलेश्वर प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्यादित, ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्रीमती चांदनी बैस, उप अंकेक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2890)

ग्वालियर, दिनांक 16 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजी.–2026–201.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2016–977, दिनांक 21 मार्च 2016 से सहरिया महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, चैत ग्वालियर पंजीयन क्र. डी.आर–जी.डब्ल्यू.आर.–992, दिनांक 20 अक्टूबर 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, घाटीगांव को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री आंनद मांझी, सहकारी निरीक्षक/सीईओ, घाटीगांव द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2026 से सहरिया महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, चैत ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री आंनद मांझी, सहकारी निरीक्षक/सीईओ, घाटीगांव को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2891)

ग्वालियर, दिनांक 16 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजी.–2026–202.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2016–1072, दिनांक 30 मार्च 2016 से तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, आरोन ग्वालियर, पंजीयन क्र. डी.आर–जी.डब्ल्यू.आर–500, दिनांक 31 अगस्त 2008 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, घाटीगांव को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री आंनद मांझी, सहकारी निरीक्षक/सीईओ, घाटीगांव द्वारा, दिनांक 05 जनवरी 2026 से तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आरोन, ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर इस मैं, निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री आंनद मांझी, सहकारी निरीक्षक/सीईओ, घाटीगांव को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2892)

ग्वालियर, दिनांक 16 फरवरी 2026

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत]

क्र.–पंजी.–2026–203.– यह कि इस कार्यालय के आदेश क्र.–परि.–2016–1000, दिनांक 29 मार्च 2016 से प्रजापति ईट–भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, आंतरी, ग्वालियर, पंज़ीयन क्र. डी.आर–जी.डब्ल्यू.आर–041, दिनांक 17 जुलाई 1959 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया. धारा 70 के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, घाटीगांव को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई.

श्री आंनद मांझी, सहकारी निरीक्षक/सीईओ, घाटीगांव द्वारा दिनांक 05 जनवरी 2026 से प्रजापति ईंट–भट्टा उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, आंतरी, ग्वालियर के पंजीयन निरस्त किये जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई. प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया. प्रस्तुत प्रशिक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा–निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. प्रतिवेदन के आधार पर मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है.

अतः, मैं, नरेश कुमार सिन्हा, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्र. एफ–5–1–99–पन्द्रह–1–सी, दिनांक 18 अगस्त 2003 से प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 के अंतर्गत सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ. रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री आंनद मांझी, सहकारी निरीक्षक/सीईओ, घाटीगांव को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें, अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें.

यह आदेश आज दिनांक 16 फरवरी 2026 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2893) **नरेश कुमार सिन्हा,** उप रजिस्ट्रार

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.

इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अप्रैल 2026–चैत्र 20, शक 1948

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाऐं

(कुछ नहीं)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.